झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

जमानत आवेदन संख्या 10296/2023

तल्हा खान, उम्र करीब 30 वर्ष, पुत्र सालिक अख्तर खान, निवासी हिल व्यू रोड, राहत नर्सिंग होम के पास, बरियातू, डाकघर बरियातू, थाना बरियातू, जिला रांची

... याचिकाकर्ता

बनाम

प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार प्रतिनिधित्व द्वारा सहायक निदेशक

... विपक्षी पक्ष

कोरम: माननीय विद्वान न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता द्वारा:	श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता श्री स्नेह सिंह, अधिवक्ता
विपक्षी पक्ष द्वारा	श्री अनिल कुमार, एडिशनल एसजीआई सुश्री चंदना कुमारी, एसी टू अतिरिक्त एसजीआई

सीएवी दिनांक 15.03.2024 दिनांक 12/04/2024 को घोषित किया गया

<u>प्रार्थना</u>

1. यह आवेदन, याचिकाकर्ता को नियमित जमानत प्रदान करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 और 440 के तहत दाखिल किया गया है, जो कि ईसीआईआर केस संख्या 01/2023 के संबंध में है, जो ईसीआईआर-आरएनजेडओ/18/2022, दिनांक 21.10.2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय धारा 3 के तहत कथित अपराध के लिए पंजीकृत है, जो अब रांची में पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में लंबित है।

<u>तथ्य/अभियोजन पक्ष मामला</u>

2. वर्तमान ईसीआईआर/शिकायत में लगाए गए आरोप के अनुसार अभियोजन पक्ष का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है:

3. रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर की शिकायत के आधार पर प्रदीप बागची के विरुद्ध , भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467 और 471 के तहत दर्ज पुलिस स्टेशन बरियातू केस संख्या 141/2022 दिनांक 04.06.2022 के आधार पर दिनांक 21.10.2022 को ईसीआईआर संख्या 18/2022 दर्ज की गई, जिसमें होल्डिंग नंबर 0210004194000A1 और 0210004031000A5 प्राप्त करने के लिए जाली कागजात यानी आधार कार्ड, बिजली बिल और कब्जा पत्र जमा करने का आरोप लगाया गया। अन्वेषण से ज्ञात होता है कि जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके प्रदीप बागची के नाम पर मोरहाबादी मौजा, वार्ड संख्या 21/19, रांची में संपत्ति के लिए होल्डिंग नंबर प्राप्त किया गया था, जिसका भूखंड क्षेत्रफल रांची में लगभग 455.00 डेसीमल है।

4. अन्वेषण से ज्ञात होता है कि उपरोक्त संपत्ति स्वर्गीय बी.एम. लक्ष्मण राव की थी, जिसे सेना को दे दिया गया था और यह रक्षा विभाग के कब्जे में थी, जो आजादी के बाद से सेना के कब्जे में थी। अन्वेषण से ज्ञात होता है कि उपरोक्त संपत्ति का एक फर्जी मालिक (प्रदीप बागची) बनाकर, इसे एक कंपनी मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया था, जिसके लिए प्रतिफल राशि 7 करोड़ रुपये दिखाई गई थी, जो कि अत्यधिक कम मूल्य थी और इस राशि 7 करोड़ रुपये में से 25 लाख रुपये का भुगतान केवल प्रदीप बागची के खाते में किया गया था और शेष राशि को विलेख नंबर 2021/6888 में चेक के माध्यम से भुगतान करना झूठा दिखाया गया था।

5. अन्वेषण के दौरान यह ज्ञात होता है कि सीओ बारगेन, रांची के पास उपलब्ध अभिलेखों के साथ-साथ कोलकाता स्थित रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कार्यालय में परिवर्तन कर दिया गया है तथा अभिलेखों को संशोधित कर दिया गया है। सर्किल ऑफिस बार्गेन तथा रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, कोलकाता के सर्वेक्षण से पता चलता है कि उपरोक्त संपत्तियों का काल्पनिक भार बनाने के लिए दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई है।

6. अन्वेषण पूरी होने पर प्रवर्तन निदेशालय ने वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध पीएमएल अधिनियम की धारा 45 सहपठित 44 के तहत ईसीआईआर केस संख्या 01/2023 के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की और परिणामस्वरूप विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.06.2023 के आदेश द्वारा उपरोक्त अपराध का संज्ञान लिया है।

7. वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध विशेष आरोप यह है कि उन्होंने अन्य अभियुक्तगणों के साथ मिलीभगत करके प्लॉट संख्या 668, खाता संख्या 29, मौजा गारी, थाना बरियातू, रांची में स्थित 60 डेसीमल जमीन का अवैध रूप से अधिग्रहण किया, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये दिखायी गयी। अभियुक्तगणों ने अपनी कंपनी कॉन्फियर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एक्सिस बैंक खाते 91802000064516549 में अपराध के आगम अर्जित की। दिनांक 15.06.2019 से 07.06.2023 की अवधि के दौरान अपराध की राशि

12,35,56,621 रुपये जमा की गई, जिसमें से 1,28,74000 रुपये नकद निकाल लिए गए। अभियुक्तगणों ने अपराध के आगम को एकत्रित करने और उसे ठिकाने लगाने के लिए अपने बैंक खातों का उपयोग किया।

8. तदनुसार, वर्तमान याचिकाकर्ता को पीएमएल, अधिनियम 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। तदनुसार याचिकाकर्ता ने अपनी जमानत मंजूर करने के लिए विविध अपराधिक आवेदन संख्या 2533/2023 को दाखिल किया था, लेकिन इसे रांची में एजेसी-I-सह विशेष न्यायाधीश, सीबीआई-सह- विशेष न्यायाधीश द्वारा दिनांक 25.08.2023 के आदेश द्वारा पीएमएलए के तहत खारिज कर दिया गया था।

9. अतः वर्तमान याचिका जमानत प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है।

<u>याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क</u>

10. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्रजीत सिन्हा ने निम्नलिखित आधार लिए हैं: -

(i) यदि सम्पूर्ण ईसीआईआर पर भी विचार किया जाए, तो भी ऐसा कोई अपराध नहीं माना जाएगा, जिससे पीएमएल अधिनियम, 2002 के धारा 3 और 4 के तत्व लागू हों।

(ii) अपराध के आगम को अपराध के आगम तभी कहा जाएगा, जब वह अनुसूचित अपराध से प्राप्त की गई हो।

(iii) वर्तमान मामले में लेन-देन का जगतबंधु टी एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है, बल्कि बैंक खाते में जमा दिखाई गई राशि अन्य व्यापारिक लेन-देन है।

(iv) समानता का आधार भी लिया गया है, क्योंकि सह-अभियुक्तगणो में से एक, दिलीप कुमार घोष को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत आवेदन संख्या 7233/2023 में पारित दिनांक 28.11.2023 के आदेश द्वारा जमानत दी गई है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत किया है कि जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करते समय विद्वान न्यायालय को मामले के सभी कानूनी और तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करने से गंभीर त्रुटि हुई है।

12. मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में आगे यह प्रस्तुति की गई है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें याचिकाकर्ता को जमानत का विशेषाधिकार दिया जाना चाहिए।

<u>विपक्षी पक्ष /प्रवर्तन निदेशालय के विद्वान वकील की ओर से तर्क</u>

13. इसके विपरीत, विपक्षी पक्ष - प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित विद्वान अपर पुलिस महानिदेशक श्री अनिल कुमार ने निम्नलिखित आधारों पर जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है:-

(i) याचिकाकर्ता की ओर से यह आधार लेना गलत है कि अपराध के आगम को अपराध के आगम तभी कहा जाएगा जब वह अनुसूचित अपराध से प्राप्त की गई हो।

(ii) यह तर्क दिया गया है कि यदि अपराध के आगम है, तो उसे अनुसूचित अपराध से प्राप्त आय के रूप में कहा जाएगा, बल्कि, यहां तक कि यदि अपराध के आगम अनुसूचित अपराध के तहत अपराध के अलावा प्राप्त की गई है, तो भी पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तत्व लागू होंगे।

(iii) विपक्षी पक्ष - ईडी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह आधार लिया है कि याचिकाकर्ता का अपराध के अन्य सह-अभियुक्तगणों अर्थात् दिलीप कुमार घोष , अमित कुमार अग्रवाल, प्रदीप बागची, अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, छवि रंजन, फैयाज अहमद, भानु प्रताप प्रसाद के साथ 'अपराध के आगम' को सुविधाजनक बनाने में सीधा संबंध है।

(iv) जहां तक समानता का प्रश्न है, याचिकाकर्ता के मामले का तथ्य सह-अभियुक्त दिलीप कुमार घोष के मामले के तथ्य से भिन्न है, इसलिए समानता का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसके अलावा, एक अन्य सह-आरोपी, अमित कुमार अग्रवाल की जमानत याचिका पहले ही इस न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन संख्या 7343/2023 में दिनांक 01.03.2024 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दी गई है।

14. विपक्षी पक्ष- ईडी के विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत किया है कि यह याचिकाकर्ता के पक्ष में नियमित जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

<u>विश्लेषण</u>

15. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

16. यह न्यायालय, पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्क की विवेचन करने से पहले, पीएमएल अधिनियम, 2002 (जिसे इसके पश्चात 'अधिनियम 2002' के रूप सन्दर्भित किया जायेगा) के तहत निहित कानून के कुछ प्रावधानों पर चर्चा करना समुचित और उचित समझता है, इसके उद्देश्य और इरादे के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में तय किए गए कानूनी प्रस्ताव पर भी चर्चा करना समुचित और उचित है।

17. अधिनियम, 2002 को धन शोधन को रोकने, अपराध के आगम को कुर्क करने, न्यायनिर्णयन और जब्ती के लिए अन्य बातों के साथ-साथ एक व्यापक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जिसमें इसे केंद्र सरकार में निहित करना, धन शोधन से निपटने के उपायों के समन्वय के लिए एजेंसियों और तंत्रों की स्थापना करना और अपराध के आगम से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में लिप्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना के लिए शामिल है।

18. इन मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के मादक द्रव्यों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध अभिसमय, 1989 में प्रतिपादित बासल सिद्धांतों का वक्तव्य, 14 से 16 जुलाई, 1989 तक पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में स्थापित एफएटीएफ, 23.2.1990 के संकल्प संख्या एस-17/2 के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए राजनीतिक घोषणापत्र और महान कार्ययोजना, 8 से 10 जून, 1998 को विश्व मादक द्रव्य समस्या का मिलकर मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें राज्य पक्षों से एक व्यापक कानून बनाने का आग्रह किया गया।

19. विधेयक के साथ प्रस्तुत किए गए उद्देश्यों और कारणों के विवरण से यह स्पष्ट है कि यह विधेयक अधिनियम 2002 बन गया। यह इस प्रकार है:

"परिचय"

धन शोधन न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए, बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है। *ऐसे खतरों से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ पहल की हैं। यह महसूस किया गया है कि धन शोधन और इससे जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए एक व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसद में धन शोधन निवारण विधेयक, 1998 पेश किया गया। विधेयक को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने 4 जून 2013 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।मार्च, 1999 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। केन्द्र सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिशों को मोटे तौर पर स्वीकार कर लिया और उन्हें कुछ अन्य वांछित परिवर्तनों के साथ उक्त विधेयक में शामिल कर लिया।"*

<u>उद्देश्यों और कारणों का विवरण</u>

"पूरे संसार में यह महसूस किया जा रहा है कि धन शोधन न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी गंभीर खतरा है। इस तरह के खतरे को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उठाए गए कुछ कदम नीचे दिए गए हैं:-

(ए) *स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसका भारत एक पक्ष है, में मादक द्रव्य अपराधों और अन्य संबद्ध गतिविधियों से प्राप्त आय के शोधन की रोकथाम तथा ऐसे अपराध से प्राप्त आय को जब्त करने का प्रावधान है।*

(बी) *1989 में प्रस्तुत बेसल सिद्धांत वक्तव्य में बुनियादी नीतियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई थी, जिनका बैंकों को धन शोधन की समस्या से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए पालन करना चाहिए।*

(सी) *धन-शोधन की समस्या के परीक्षण के लिए 14 से 16 जुलाई, 1989 तक पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक देशों के शिखर सम्मेलन में स्थापित वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ने चालीस अनुशंसा की हैं, जो धन-शोधन की समस्या से निपटने के लिए व्यापक कानून बनाने के लिए आधार सामग्री प्रदान करती हैं। अनुशंसा को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण शीर्षक इस प्रकार हैं-*

(i) *गंभीर अपराधों के माध्यम से किए गए धन शोधन को आपराधिक अपराध घोषित करना;*

(ii) *रिपोर्ट योग्य लेनदेन के संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रकटीकरण की रूपरेखा तैयार करना;*

(iii) *अपराध के आगम की जब्ती;*

(iv) *धन शोधन को प्रत्यर्पणीय अपराध घोषित करना; और*

(v) *धन शोधन की अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।*

(डी) *संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 फरवरी, 1990 के संकल्प संख्या एस-17/2 द्वारा अपनाई गई राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्य योजना, अन्य बातों के साथ-साथ, सदस्य देशों से मादक द्रव्यों से संबंधित धन के शोधन के लिए वित्तीय संस्थाओं के प्रयोग को रोकने के लिए तंत्र विकसित करने और ऐसे शोधन को रोकने के लिए कानून बनाने का आह्वान करती है।*

(ई) *संयुक्त राष्ट्र ने 8 से 10 जून, 1998 को संपन्न विश्व मादक पदार्थ समस्या से निपटने के लिए विशेष सत्र में धन शोधन से निपटने की आवश्यकता के बारे में एक और घोषणा की है। भारत इस घोषणा पर हस्ताक्षरकर्ता है।"*

20. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियम 2002 को धन शोधन को रोकने, अपराध के आगम की कुर्की, धन शोधन से निपटने के लिए न्यायनिर्णयन और जब्ती तथा अपराध के आगम से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में

लिप्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ एक व्यापक कानून बनाने की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

21. यहां अधिनियम, 2002 की धारा 2(1)(यू) के तहत प्रदत्त "अपराध के आगम" की परिभाषा का संदर्भ लेना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:

"2(यू) *'अपराध के आगम" से किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई कोई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य [या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली जाती है या धारित की जाती है, वहां देश के भीतर [या बाहर] धारित सममूल्य की संपत्ति] अभिप्रेत है;*

[स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि " अपराध के आगम" के अंतर्गत न केवल अनुसूचित अपराध से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई संपत्ति है, बल्कि ऐसी कोई संपत्ति भी है, जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या अभिप्राप्त की गई है;]

22. उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि "अपराध के आगम" से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली गई या रखी गई है, तो देश के भीतर या विदेश में रखी गई संपत्ति के बराबर मूल्य से है।

23. स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि संदेहों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध के आगम" में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या व्युत्पन्न संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या व्युत्पन्न हो सकती है।

24. उपर्युक्त स्पष्टीकरण अधिनियम 23/2019 द्वारा क़ानून की पुस्तक में सम्मिलित किया गया है।

25. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 2(1)(यू) के तहत स्पष्टीकरण देने का कारण इस आशय का स्पष्टीकरण है कि क्या धारा 2(1)(यू) के मूल प्रावधान के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अर्जित की गई संपत्ति या ऐसी किसी संपत्ति का मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली गई या रखी गई है, लेकिन स्पष्टीकरण के माध्यम से अपराध के आगम को न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या अर्जित संपत्ति बल्कि अनुसूचित अपराध से संबंधित

किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अर्जित की गई किसी संपत्ति को भी शामिल करके व्यापक निहितार्थ दिया गया है।

26. धारा 2(1)(v) के अंतर्गत "संपत्ति" को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है हर तरह की कोई भी संपत्ति या परिसंपत्ति है, चाहे वह भौतिक हो या अमूर्त, चल या अचल, मूर्त या अमूर्त और इसमें ऐसी संपत्ति या परिसंपत्तियो में शीर्षक, या हित को प्रमाणित करने वाले कार्य और उपकरण शामिल हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों;

27. अनुसूची को धारा 2(1)(x) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसका तात्पर्य धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची से है। "अनुसूचित अपराध" को धारा 2(1)(वाई) के तहत परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है:

2(वाई) *"अनुसूचित अपराध" से अभिप्रेत है:-*

(i) अनुसूची के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध; या

[(ii) अनुसूची के भाग ख के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध, यदि ऐसे अपराधों में अंतर्वलित कुल मूल्य [एक करोड़ रुपए] या अधिक हैं; या]

[(iii) अनुसूची के भाग ग के अधीन विनिर्दिष्ट अपराध;]

28. यह स्पष्ट है कि "अनुसूचित अपराध" का तात्पर्य अनुसूची के भाग ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध से है; अथवा अनुसूची के भाग बी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध से है, यदि ऐसे अपराधों में अंतर्वलित कुल मूल्य [एक करोड़ रुपए] या उससे अधिक है; अथवा अनुसूची के भाग सी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध से है।

29. धन शोधन के अपराध को अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

3. धन शोधन का अपराध *- [जो कोई, अपराध के आगमों से संबंधित ऐसी किसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप में, जिसके अंतर्गत उसका छिपाया जाना, कब्जा रखना, अर्जन या उपयोग भी है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लिप्त होने का प्रयत्न करेगा या जानते हुए सहायता करेगा या जानते हुए उसका पक्षकार बनेगा या वास्तव में उसमें अंतर्वलित होगा और निष्कलंक संपत्ति के रूप में उसे प्रस्तुत करेगा या उसका दावा करेगा, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा ।]*

[स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि, -

(i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा, यदि ऐसा व्यक्ति आगमों से संबंधित निम्नलिखित एक या अधिक प्रक्रियाओं या क्रियाकलापों में, अर्थात्-

(क) छिपाए जाने; या

(ख) कब्जा रखने; या

(ग) अर्जन करने; या

(घ) उपयोग करने या

(ङ) निष्कलंक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने; या

(च) निष्कलंक संपत्ति के रूप में दावा करने,

में, किसी भी रीति से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लिप्त होने का प्रयत्न करता है या जानते हुए सहायता करता है या जानते हुए उसका पक्षकार है या वास्तव में उसमें संलिप्त पाया जाता है;

(ii) अपराध के आगमों से संबंधित प्रक्रिया या क्रियाकलाप एक चालू रहने वाला क्रियाकलाप है और उस समय तक चालू रहता है, जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्षत: या अप्रत्क्षतः किसी भी रीति में अपराध के आगमों को छिपा कर या कब्जा रखकर या उसका अर्जन करके या उपयोग करके या निष्कलंक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करके या निष्कलंक संपत्ति के रूप में दावा करके अपराध के आगमों का उपयोग करता है ।]

30. उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि "धन शोधन के अपराध" से तात्पर्य है कि जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर इसमें पक्षकार है या वास्तव में अपराध के आगम से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जिसमें इसे छिपाना, कब्जाना, अधिग्रहण या उपयोग करना और इसे निष्कलंक संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।

31. इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि अपराध के आगम से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक सतत गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति अपराध के आगम को छिपाकर या उस पर कब्जा करके या उसे अर्जित करके या उसका उपयोग करके या उसे निष्कलंक संपत्ति के रूप में पेश करके या किसी भी तरह से निष्कलंक संपत्ति के रूप में दावा करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका आनंद ले रहा है।

32. अधिनियम, 2002 की धारा 4 के अंतर्गत धन शोधन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है।

33. अधिनियम, 2002 की धारा 50, अधिकारियों को समन जारी करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य देने के संबंध में शक्ति प्रदान करती है। सुलभ संदर्भ के लिए, अधिनियम, 2002 की धारा 50 देखें जो इस प्रकार है:

50. समन करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने और साक्ष्य देने, आदि के बारे में प्राधिकारियों की शक्ति*(1) निदेशक को, धारा 13 के प्रयोजनों के लिए वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन निम्नलिखित विषयों की बाबत वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्:-*

(क) प्रकटीकरण और निरीक्षण;

(ख) किसी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत किसी [रिपोर्टकर्ता इकाई] का कोई अधिकारी भी है, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण के लिए विवश करना;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(2) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक को ऐसे किसी व्यक्ति को समन करने की शक्ति होगी जिसकी हाजिरी वह, चाहे इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के अनुक्रम में साक्ष्य देने के लिए या कोई अभिलेख पेश करने के लिए आवश्यक समझता है।

(3) इस प्रकार समन किए सभी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा प्राधिकृत अभिकर्ताओं के माध्यम से, जैसा कि ऐसा अधिकारी निदेश दे, हाजिर होने और ऐसे किसी विषय के बारे में सत्य कथन करने के लिए बाध्य होगा जिसके संबंध में उनकी परीक्षा की जा रही हो अथवा ऐसे कथन करने और ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जिनकी उससे अपेक्षा की जाए।

(4) उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किन्हीं अभिलेखों को परिबद्ध कर सकेगा और ऐसी किसी अवधि के लिए अपने पास प्रतिधारित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे:

परन्तु कोई सहायक निदेशक या उप निदेशक-

(क) किसी अभिलेख को, ऐसा करने के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध किए बिना, परिबद्ध नहीं करेगा; या

(ख) ऐसे किसी अभिलेख को [संयुक्त निदेशक] का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना तीन मास से अधिक की अवधि के लिए अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा।

34. अधिनियम, 2002 के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ "अपराध के आगम" की परिभाषा की व्याख्या पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** के मामले में विचार किया गया है, जिसे **(2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 929** में प्रतिवेदित किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने अधिनियम, 2002 के उद्देश्य और मंशा को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर निर्णय किया है। उक्त निर्णय के पैरा-251 में "अपराध के आगम" की परिभाषा का उल्लेख किया गया है।

35. *पूर्वगामी अपराध में शामिल व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय जो शर्त पूरी की जानी है, उसकी व्याख्या पैराग्राफ-265 से स्पष्ट रूप से की गई है। सुलभ संदर्भ के लिए, प्रासंगिक पैराग्राफों का संदर्भ निम्नानुसार दिया जा रहा है:*

***"265.** दूसरे शब्दों में कहें तो, 2019 से पहले की धारा में स्वयं "सहित" अभिव्यक्ति को शामिल किया गया था, जो अपराध के आगम से जुड़ी विभिन्न प्रक्रिया या गतिविधि के लिए किए गए संदर्भ का संकेत है। इस प्रकार, सैद्धांतिक प्रावधान (जैसा कि स्पष्टीकरण भी) यह प्रतिपादित करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध के आगम से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाया जाता है, तो उसे धन शोधन के अपराध का दोषी माना जाना चाहिए। यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा निर्धारित निर्वचन को स्वीकार किया जाता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि केवल प्रश्नगत संपत्ति को निष्कलंक संपत्ति के रूप में पेश करने या दावा करने पर ही अपराध पूरा हो जाएगा। इससे अधिनियम की धारा 3 के पीछे विधायी मंशा की प्रभावशीलता कम हो जाएगी और साथ ही यह FATF द्वारा उसमें "प्रक्षेपित करना या दावा करना" अभिव्यक्ति से पहले "और" शब्द के आने के संबंध में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की भी अवहेलना होगी। इस न्यायालय ने प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य मामले में प्रतिपादित किया कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अनुबंध और अभिसमय यद्यपि नगरपालिका कानून का हिस्सा नहीं हो सकते हैं, फिर भी न्यायालयों द्वारा उनका संदर्भ लिया जाना चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत उक्त संधियों का एक पक्ष है। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि भारत के संविधान और अन्य प्रचलित कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुरूप पढ़ा गया है। यह भी अवलोकन किया गया है कि भारत के संविधान और संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों को ध्यान में रखते हुए समझा जाना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान विश्व समुदाय की उन संस्थाओं को ध्यान में रखता है, जिनका निर्माण किया गया है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए.के. चोपड़ा मामले में न्यायालय ने परिशीलन किया कि घरेलू कानूनों की व्याख्या करने के लिए घरेलू न्यायालयों का दायित्व है कि वे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और मानदंडों को उचित सम्मान दें, विशेषकर तब जब उनके बीच कोई असंगति न हो और घरेलू कानून में कोई कमी हो। यह दृष्टिकोण गीता हरिहरन, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ में भी दोहराया गया है।"*

36. धारा 50 के निहितार्थ को भी ध्यान में रखा गया है। सुलभ संदर्भ के लिए, प्रासंगिक पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ-422, 424, 425, 431, 434 इस प्रकार है:

***"422.** इस प्रावधान की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन होने के आधार पर चुनौती दी गई है। क्योंकि, यह अधिनियम 2002 के तहत प्राधिकृत अधिकारी को अन्वेषण के दौरान किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसका बयान दर्ज करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, प्रावधान में यह*

अनिवार्य किया गया है कि व्यक्ति को अन्वेषण के विषय के संबंध में अपने व्यक्तिगत ज्ञान में ज्ञात सत्य और सही तथ्यों का खुलासा करना चाहिए। व्यक्ति को अधिनियम 2002 की धारा 63 के अनुसार मिथ्यात्व या गलतता के लिए दंडित किए जाने की धमकी के साथ दिए गए बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए भी बाध्य किया जाता है। इससे पहले कि हम मामले का आगे विश्लेषण करें, अधिनियम 2002 की संशोधित धारा 50 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा।

424. *इस उपबंध द्वारा निदेशक को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में वाद की सुनवाई करते समय वही शक्तियां प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है जो संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं। यह अधिनियम, 2002 की धारा 13 के संदर्भ में है, जो बैंकिंग कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में जुर्माना लगाने के लिए निदेशक की शक्तियों से संबंधित है। धारा 50 को जिस परिवेश में रखा गया है तथा धारा 13 के अंतर्गत जुर्माना लगाने के प्रयोजनार्थ निदेशक को सिविल न्यायालय में निहित समान शक्तियां प्रदान करने का विस्तार, स्पष्टतः बहुत विशिष्ट है, अन्यथा नहीं।*

425. *वस्तुतः, धारा 50 की उपधारा (2) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक या सहायक निदेशक को किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मन जारी करने के लिए सक्षम बनाती है, जिसकी उपस्थिति वह इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण या कार्यवाही के दौरान साक्ष्य देने या कोई अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक समझता है। हमने इस निर्णय के पहले भाग में "कार्यवाही" शब्द की व्यापकता पर प्रकाश डाला है तथा कहा है कि यह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या विशेष न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष कार्यवाही पर लागू होता है। फिर भी, उप- धारा (2) प्राधिकृत अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को समन जारी करने का अधिकार देती है। हम यह समझने में विफल हैं कि अनुच्छेद 20(3) ऐसे समन के अनुसरण में बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के संबंध में कैसे लागू होगा, जो केवल इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में सूचना या साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से है। वस्तुतः, इस प्रकार बुलाया गया व्यक्ति, स्वयं या प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होने तथा किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए बाध्य है, जिसके संबंध में उसका परीक्षण किया जा रहा है या उससे कथन करने तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा रही है, जैसा कि अधिनियम 2002 की धारा 50 की उपधारा (3) के आधार पर अपेक्षित हो। यह आलोचना मूलतः उपधारा (4) के कारण है, जो यह प्रावधान करती है कि उपधारा (2) और (3) के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। फिर भी, तथ्य यह है कि अनुच्छेद 20(3) या साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 तभी लागू होगी जब सम्मन व्यक्ति प्रासंगिक समय पर किसी अपराध का आरोपी हो और उसे स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर किया जा रहा हो। यह स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है। एमपी शर्मा मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने इसी प्रकार की चुनौती पर विचार किया था, जिसमें अन्वेषण के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी किया गया था, जो संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन था। इस*

न्यायालय का यह मत है कि अनुच्छेद 20(3) में दी गई गारंटी "साक्ष्य संबंधी बाध्यता" के विरुद्ध है और यह मौखिक साक्ष्य तक सीमित नहीं है। इतना ही नहीं, यह तब भी लागू होता है जब व्यक्ति को खुद के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए मजबूर किया जाता है, जो मौखिक साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए समन जारी होने मात्र से नहीं हो सकता है। इसके अलावा, साक्षी बनना साक्ष्य प्रस्तुत करने से अधिक कुछ नहीं है और ऐसे साक्ष्य विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। न्यायालय ने आगे निम्नलिखित अवलोकन किया जो इस प्रकार है कि :

*"व्यापक रूप से कहा जाए तो अनुच्छेद 20(3) में दी गई गारंटी "साक्ष्य-बाध्यता" के विरुद्ध है। यह सुझाव दिया गया है कि यह किसी अपराध के लिए सुनवाई के दौरान गवाह के रूप में बुलाए जाने पर व्यक्ति के मौखिक साक्ष्य तक ही सीमित है। हम संवैधानिक गारंटी की विषय-वस्तु को इस मात्र शाब्दिक अर्थ तक सीमित करने का कोई कारण नहीं देख सकते है। अत इसे सीमित करना इसके सारत उद्देश्य की गारंटी को छीनना होगा और कुछ अमेरिकी निर्णयों में बताए गए ध्वनि के लिए पदार्थ को नजरअंदाज करना होगा। अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह होना" है। कोई व्यक्ति केवल मौखिक साक्ष्य देकर ही नहीं बल्कि दस्तावेज प्रस्तुत करके या गूंगे गवाह के मामले में (साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 देखें) या इसी तरह के अन्य तरीकों से भी "गवाह" हो सकता है। "गवाह होना" का अर्थ "साक्ष्य प्रस्तुत करना" से अधिक कुछ नहीं है, और ऐसा साक्ष्य होठों के माध्यम से या किसी वस्तु या दस्तावेज को प्रस्तुत करके या अन्य तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। जहां तक दस्तावेजों को पेश करने का प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 139 कहती है कि समन पर दस्तावेज पेश करने वाला व्यक्ति गवाह नहीं है। लेकिन यह धारा प्रतिपरीक्षण के अधिकार को विनियमित करने के लिए है। यह "गवाह" शब्द के अर्थ के लिए मार्गदर्शक नहीं है, जिसे इसके स्वाभाविक अर्थ में अर्थात, साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करने के रूप में समझा जाना चाहिए । वास्तव में, प्रत्येक सकारात्मक स्वैच्छिक कार्य जो साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वह साक्ष्य है, और साक्ष्य संबंधी बाध्यता जबरदस्ती को दर्शाती है जो व्यक्ति की सकारात्मक स्वैच्छिक साक्ष्य संबंधी क्रियाओं को प्राप्त करती है, जो उसकी ओर से चुप्पी या समर्पण के नकारात्मक रवैये के विपरीत है। न ही यह सोचने का कोई कारण है कि इस प्रकार प्राप्त साक्ष्य के संबंध में सुरक्षा केवल न्यायालय कक्ष में सुनवाई के दौरान घटित होने वाली बातों तक ही सीमित है। अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त वाक्यांश "गवाह बनना" है, न कि "गवाह के रूप में उपस्थित होना" है । इसका अर्थ यह है कि अभियुक्त को दी जाने वाली सुरक्षा, जहाँ तक वह "गवाह बनना" वाक्यांश से संबंधित है, केवल न्यायालय कक्ष में साक्ष्य देने के लिए बाध्य करने के संबंध में ही नहीं है, बल्कि उससे पहले प्राप्त की गई बाध्य साक्ष्य तक भी विस्तारित हो सकती है। **अतः यह उस व्यक्ति को उपलब्ध है जिसके विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में औपचारिक आरोप लगाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सामान्यतः अभियोजन हो सकता है।** क्या यह अन्य स्थितियों में अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, इस मामले में निर्णय की आवश्यकता नहीं है।"*

(जोर दिया गया)

431. *अधिनियम 2002 के संदर्भ में, यह याद रखना चाहिए कि समन धारा 50 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अपराध के आगम के संबंध में जांच के संबंध में जारी किया जाता है, जिसे कुर्क किया जा सकता है और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन लंबित है। ऐसी कार्रवाई के संबंध में, नामित अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति को सूचना और साक्ष्य एकत्र करने के लिए बुलाने का अधिकार दिया गया है, जिसे न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। यह आवश्यक नहीं है कि नोटिस प्राप्त करने वाले के विरुद्ध अभियोजन शुरू किया जाए। इस अधिनियम के तहत नामित अधिकारियों को सौंपी गई शक्ति, यद्यपि वास्तविक अर्थ में अन्वेषण के रूप में है, प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच करने की है, ताकि अपराध के आगम के संबंध में कार्रवाई शुरू करने या आगे बढ़ाने में सुविधा हो, यदि स्थिति ऐसा चाहती है और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। यह एक अलग बात है कि जांच के दौरान एकत्रित की गई सूचना और साक्ष्य से धन शोधन के अपराध का खुलासा हो सकता है और उस व्यक्ति की संलिप्तता का पता चल सकता है, जिसे प्राधिकरण द्वारा जारी समन के तहत खुलासा करने के लिए बुलाया गया है। इस स्तर पर, ऐसे व्यक्ति के धन शोधन के अपराध में आरोपी के रूप में शामिल होने की संभावना का संकेत देने वाला कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं होगा। यदि उसके द्वारा दिए गए बयान से धन शोधन के अपराध या अपराध के आगम के अस्तित्व का पता चलता है, तो वह अधिनियम के तहत कार्रवाई योग्य हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो, अपराध के आगम होने वाली संपत्ति के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों की जांच के उद्देश्य से बयान दर्ज करने के चरण में, उस अर्थ में, अभियोजन के लिए जांच नहीं होती है; और किसी भी मामले में, नोटिस प्राप्तकर्ता के विरुद्ध कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाया जाएगा। ऐसे समन प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई जांच में गवाहों को भी जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, अन्य सामग्री और साक्ष्य के आधार पर आगे की जांच के बाद, ऐसे व्यक्ति (नोटिस प्राप्तकर्ता) की संलिप्तता सामने आती है, तो प्राधिकृत अधिकारी निश्चित रूप से उसके द्वारा किए गए कार्यों या चूक के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, सम्मन जारी करने के चरण में, ऐसी स्थिति में, सम्मन जारी करने के चरण में, व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता है। हालांकि, यदि उसका बयान ईडी अधिकारी द्वारा औपचारिक गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया जाता है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 20(3) या धारा 25 के तहत यह तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि यह बयान स्वीकारोक्ति की प्रकृति का है, इसलिए उसके विरुद्ध यह साबित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यह अभियोजन पक्ष को ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने से नहीं रोकेगा, जिसमें उसके दावे के मिथ्या होने को इंगित करने वाले अन्य ठोस सामग्री के आधार पर अधिनियम 2002 की धारा 63 के तहत परिणाम भी शामिल हैं। यह साक्ष्य के नियम का मामला होगा।*

434. *इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिकारियों को दी गई शक्ति, अपराध के आगम के अस्तित्व तथा उससे संबंधित प्रक्रिया या गतिविधि में व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक मामलों की जांच करने के लिए है, ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्रवाई आरंभ की जा सके, जिसमें संपत्ति की जब्ती, कुर्की और अधिहरण शामिल है, जो अंततः केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।"*

37. उपर्युक्त अवलोकन से यह विदित है कि अधिनियम, 2002 के उद्देश्य और लक्ष्य, जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया है, धन शोधन के अपराध के लिए दंड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि धन शोधन की रोकथाम के लिए उपाय प्रदान करना भी है। इसमें अपराध से प्राप्त आय को कुर्क करने का भी प्रावधान है, जिसे छुपाया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है या किसी ऐसे तरीके से निपटाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम 2002 के तहत ऐसी आय की जब्ती से संबंधित किसी भी कार्यवाही को विफल किया जा सकता है। इस अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यस्थों को लेनदेन का रिकार्ड रखने तथा अधिनियम 2002 के अध्याय IV के अनुसार निर्धारित समय के भीतर ऐसे लेनदेन की सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना है।

38. उपरोक्त निर्णय में विधेय अपराध पर विचार किया गया है, जिसमें धारा 2(1)(यू) के तहत निहित "अपराध के आगम" की परिभाषा के तहत अधिनियम 23/2019 के माध्यम से डाले गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा और जिसके तहत, संदेह को दूर करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया गया है कि, "अपराध के आगम" में न केवल अनुसूचित अपराध से व्युत्पन्न या प्राप्त की गई संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की जा सकती है, जिसका अर्थ है, "कोई भी संपत्ति जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पन्न या प्राप्त की जा सकती है" शब्द अपराध के आगम के दायरे में आएंगे।

39. जहां तक धारा 45(1)(i)(ii) के तात्पर्य का प्रश्न है, उपरोक्त प्रावधान नॉन-ऑब्सटेंट खंड से शुरू होता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित किसी भी तथ्य के बावजूद, इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि -

(i) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है; और
(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय को विश्वास है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

40. उप-धारा (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या जमानत देने के संबंध में वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित परिसीमाओं के अतिरिक्त उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जमानत देने पर परिसीमाएं लगाती है।

41. स्पष्टीकरण यह भी है कि उप-धारा (2) के तहत, जो संदेहों को दूर करने के प्रयोजन के लिए है, एक स्पष्टीकरण अन्तर्निविष्ट किया गया है कि "संज्ञेय और गैर-जमानतीय अपराधों का होना" अभिव्यक्ति का अर्थ होगा और इसका हमेशा यही अर्थ समझा जाएगा कि इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय अपराध और गैर-जमानतीय अपराध होंगे, भले ही दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में इसके विपरीत कोई बात निहित हो, और तदनुसार इस अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी धारा 19 के तहत शर्तों की पूर्ति के अधीन और इस धारा के तहत निहित शर्तों के अधीन, बिना वारंट के किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए सशक्त हैं।

42. धारा 45 के निहितार्थ के बारे में तथ्य की निर्वचन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा)** के पैराग्राफ 371 से 374 में की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त पैराग्राफों को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है:

*"**371**. अधिनियम 2002 में जमानत से संबंधित प्रासंगिक प्रावधानों को इस अधिनियम के तहत अपराध के संबंध में अध्याय VII में धारा 44 (2), 45 और 46 में अनुरेखित किया जा सकता है। सैद्धांतिक शिकायत अधिनियम 2002 की धारा 45 में निर्दिष्ट दोहरी शर्तों के बारे में है। इससे पहले कि हम आगे विस्तार से बताएं, धारा 45 को संशोधित रूप में प्रस्तुत करना उचित होगा। यह इस प्रकार है:*

***45. अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना** - 2[दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, [इस अधिनियम के अधीन] किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर या उसके निजी बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि -]*

(i) लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के आवेदन का विरोध करने के लिए अवसर नहीं दे दिया गया है; और
(ii) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय का यह समाधान नहीं हो जाता है कि यह विश्वास करने के लिए समुचित आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा जमानत के दौरान कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं है:

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति यदि सोलह वर्ष की आयु से कम का है या महिला है या रुग्ण है या अशक्त है [या एक करोड़ रुपए से कम की राशि के धन शोधन का स्वयं या किसी अन्य सह-अभियुक्त के साथ अभियुक्त है] तो उसे जमानत पर निर्मुक्त किया जा सकता है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा निदेश दे:

परन्तु यह और कि विशेष न्यायालय, निम्नलिखित द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत के सिवाय, धारा 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा:

(i) निदेशक; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई अधिकारी जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा, किसी ऐसे लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, जिसे उस राज्य सरकार ने इस निमित्त किया हो।

,

'[(1क) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत न किया गया हो।]

(2) उपधारा (1) 2[***] में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने की सीमा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या जमानत मंजूर करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिसीमा के अतिरिक्त है।

[स्पष्टीकरण- शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि " अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होगा" पद से यह अभिप्रेत होगा और सदैव यह अभिप्रेत होना समझा जाएगा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय अपराध होंगे, और तद्नुसार, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी धारा 19 के अधीन शर्तों के पूरा करने के अधीन रहते हुए और इस धारा के अधीन उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए वारंट के बिना किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए सशक्त होंगे।]

372. *धारा 45 को अधिनियम 20 वर्ष 2005 , अधिनियम 13 वर्ष 2018 और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित किया गया है। दिनांक 23.11.2017 से पहले प्राप्त प्रावधान कुछ अलग तरीके से पढ़ा गया। धारा 45 की उपधारा (1) की संवैधानिक वैधता, जैसा कि तब था, निकेश ताराचंद शाह में विचार किया गया था। इस न्यायालय ने अधिनियम 2002 की धारा 45(1) को, जैसा कि वह उस समय थी, असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि इसमें जमानत पर रिहाई के लिए दो अतिरिक्त शर्तें लगाई गई थीं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। जिन दो स्थितियों को दो स्थितियों के रूप में उल्लेखित किया गया है वे हैं:*

(i) यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है; तथा

(ii) जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

373. *याचिकाकर्ताओं के अनुसार, चूंकि इस न्यायालय द्वारा दोनों को शून्य घोषित कर दिया गया है तथा उनकी शर्तें असंवैधानिक हैं, इसलिए वे निरस्त हो गईं। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए मणिपुर राज्य के निर्णय पर भरोसा किया गया है।*

374. *हमारे द्वारा उत्तर दिया जाने वाला पहला मुद्दा यह है कि क्या निकेश ताराचंद शाह में इस न्यायालय के निर्णय के बाद भी कानून की ये दोहरी शर्तें वैधानिक पुस्तक में बनी रहीं और यदि हां, तो अधिनियम 2002 की धारा 45(1) में अधिनियम 13 वर्ष 2018 के तहत किए गए संशोधन के मद्देनजर इस न्यायालय द्वारा की गई घोषणा का कोई महत्व नहीं होगा। इस तर्क को हमें ज्यादा समय तक टालने की जरूरत नहीं है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मणिपुर राज्य के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 29 में यह टिप्पणी प्रासंगिक है कि न्यायालय द्वारा यह घोषित कर देने के कारण कि कानून असंवैधानिक है, कानून पूरी तरह से खत्म हो जाता है, मानो इसे कभी पारित ही नहीं किया गया हो। इस मामले में, न्यायालय निरसन अधिनियम की प्रभावकारिता से निपट रहा था। ऐसा करते समय, न्यायालय ने निरसन अधिनियम पर ध्यान दिया था और विधायी शक्ति की कमी के संदर्भ में उक्त अवलोकन किया था। तर्क की प्रक्रिया में, इसने बेहराम खुर्शीद पेसिकका और दीप चंद में की गई व्याख्या पर ध्यान दिया, जिसमें कूली ऑन कॉन्स्टीट्यूशनल लिमिटेशन्स और नॉर्टन बनाम शेल्बी काउंटी में अमेरिकी न्यायशास्त्र की व्याख्या शामिल है।"*

43. तत्पश्चात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 1486** के मामले में **विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहद पीठ द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया है कि चूंकि धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं, इसलिए उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है। न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है तथा जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

44. यह भी परिशीलन किया गया है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत स्वीकृत वैधानिक अनुमान के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण को यह मानने का अधिकार है कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, अधिनियम के तहत अपराध के आगम से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में, ऐसी अपराध के आगम धन शोधन में शामिल है। पीएमएल अधिनियम की धारा 45 में उल्लिखित ऐसी शर्तों का पालन सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा, क्योंकि पीएमएल अधिनियम की धारा 71 के तहत वर्तमान में लागू अन्य कानून पर पीएमएल अधिनियम को दिए गए अधिभावी प्रभाव को देखते हुए। सुलभ संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय का पैराग्राफ-17 इस प्रकार है:

"17. *जैसा कि अब तक स्थापित हो चुका है, धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं। उनका अनुपालन किया जाना चाहिए। न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह कहना अनावश्यक है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत स्वीकृत वैधानिक अनुमान के अनुसार, न्यायालय या प्राधिकरण को यह मानने का अधिकार है, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, कि अधिनियम के तहत अपराध के आगम से संबंधित किसी भी कार्यवाही में, धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध में आरोपित व्यक्ति के मामले में, अपराध की ऐसी आय धन शोधन में शामिल है। पीएमएल अधिनियम की धारा 45 में उल्लिखित ऐसी शर्तों का अनुपालन सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा, क्योंकि पीएमएल अधिनियम की धारा 71 के तहत वर्तमान में लागू अन्य कानूनों पर पीएमएल अधिनियम को अधिक प्रभाव दिया गया है।"*

45. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय में आगे यह प्रतिपादित किया है कि जमानत का लाभ देने से पूर्व अधिनियम, 2002 की धारा 45 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोहरी शर्तों का पालन किया जाना है, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा)** में विचार किया है, जिसमें यह परिशीलन किया गया है कि अभियुक्त अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

46. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा)** में पैराग्राफ-284 के अंतर्गत दिए गए निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राधिकरण को किसी व्यक्ति पर धन शोधन के अपराध के लिए तभी मुकदमा चलाना है, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया जाना आवश्यक है कि व्यक्ति के पास "अपराध के आगम" है। केवल तभी जब उस विश्वास को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थन प्राप्त हो, जो अपराध के आगम से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में संबंधित व्यक्ति की संलिप्तता को इंगित करता हो, तो अपराध के आगम की कुर्की और जब्ती के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है और जब तक कि केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक शुरू की गई ऐसी प्रक्रिया एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी।

47. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गौतम कुंडू बनाम प्रवर्तन निदेशालय (धन शोधन निवारण अधिनियम), भारत सरकार के मामले में मनोज कुमार, सहायक निदेशक, पूर्वी क्षेत्र के माध्यम से (2015) 16 एससीसी 1 में रिपोर्ट की है कि पैराग्राफ-30 में यह माना गया है कि पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और उनका अनुपालन किया जाना चाहिए, जिसे पीएमएलए की धारा 65 और धारा 71 के प्रावधानों द्वारा

और मजबूत किया गया है। धारा 65 के अनुसार सीआरपीसी के प्रावधान लागू होंगे, जब तक कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, तथा धारा 71 के अनुसार पीएमएलए के प्रावधानों का प्रभाव सर्वोपरि होगा, भले ही वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में कोई असंगत बात क्यों न हो। पीएमएलए का प्रभाव सर्वोपरि है और सीआरपीसी के प्रावधान तभी लागू होंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों।

48. अत:, पीएमएलए की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा। धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक प्राधिकरण या न्यायालय यह उपधारणा कर लेगा कि अपराध के आगम धन-शोधन में शामिल है और यह साबित करने का भार कि अपराध के आगम शामिल नहीं है, याचिकाकर्ता पर है। सुलभ संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय का पैराग्राफ-30 इस प्रकार है:

***"30**. पीएमएलए की धारा 45 के तहत निर्दिष्ट शर्तें अनिवार्य हैं और उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक है, जिसे पीएमएलए की धारा 65 और धारा 71 के प्रावधानों द्वारा और मजबूत किया गया है। धारा 65 के अनुसार सीआरपीसी के प्रावधान लागू होंगे, जब तक कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों, तथा धारा 71 के अनुसार पीएमएलए के प्रावधानों का प्रभाव सर्वोपरि होगा, भले ही वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में कोई असंगत बात क्यों न हो। पीएमएलए का प्रभाव सर्वोपरि है और सीआरपीसी के प्रावधान तभी लागू होंगे जब वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों। अत:, पीएमएलए की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा। धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, प्राधिकरण या न्यायालय यह मान लेगा कि अपराध के आगम धन शोधन में शामिल है और यह साबित करने का भार अपीलकर्ता पर है कि अपराध के आगम शामिल नहीं है।"*

49. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **<u>तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय (सुप्रा)</u>** के मामले में धारा 45 के निहितार्थ और पैराग्राफ-17 और 18 में समानता के सिद्धांत को फिर से दोहराया है। समता के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ-18 में विचार किया है तथा टिप्पणी की है कि समता कानून नहीं है। समानता के सिद्धांत को लागू करते समय, न्यायालय को अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, जिसका आवेदन पत्र विचाराधीन है। शुल्क संदर्भ के लिए, पैराग्राफ-18 पढ़ा जाये जो इस प्रकार है:

"18. *विद्वान अधिवक्ता श्री लूथरा का यह तर्क कि अपीलकर्ता को इस आधार पर जमानत दी जानी चाहिए कि अन्य सह-अभियुक्तगणों को भी जमानत दी जा चुकी है, जो अपीलकर्ता के समान स्थिति में थे, स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह ध्यान देने योग्य बात है कि समता कोई कानून नहीं है। समता के सिद्धांत को लागू करते समय, न्यायालय को उस अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जिसका आवेदन विचाराधीन है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि मुख्य अभियुक्त श्री केवल कृष्ण कुमार, एसबीएफएल के प्रबंध निदेशक और समूह कंपनियों के केएमपी तथा अन्य अभियुक्त देवकी नंदन गर्ग, विभिन्न फर्जी कंपनियों के मालिक/संचालक/नियंत्रक को दुर्बलता और चिकित्सा आधार पर जमानत दी गई थी। सह-अभियुक्त रमन भूरारिया, जो एसबीएफएल के आंतरिक लेखा परीक्षक थे, को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है, हालांकि उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को प्रतिवादी द्वारा एसएलपी (सीआरएल) संख्या 9047/2023 दाखिल करके इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है और यह विचाराधीन है। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की ओर से किए गए उक्त निवेदन को खारिज करते हुए, अपने आपेक्षित आदेश में रमन भूरारिया के मामले को अलग किया था और यह परिशीलन किया था कि रमन भूरारिया, जो एसबीएफएल के आंतरिक लेखा परीक्षक थे (थोड़े समय के लिए एसबीएफएल के वैधानिक लेखा परीक्षक), के विपरीत, आवेदक क्रय विभाग के उपाध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष के रूप में, वे कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए जिम्मेदार थे। यह भी परिशीलन किया गया कि अपीलकर्ता की भूमिका वित्तीय स्थिति से स्पष्ट होती है, जहां प्रत्यक्ष ऋण राशि को एसबीएफएल की सहयोगी कम्पनियों को हस्तांतरित कर दिया गया, जहां अपीलकर्ता या तो शेयरधारक था या निदेशक था। किसी भी मामले में, रमन भूरारिया को जमानत देने का आदेश इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष विचाराधीन है, हमारे लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के संबंध में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।"*

50. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में **गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य** के मामले में, **(2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 109** में प्रतिवेदित की, यह परिशीलन किया गया कि सामान्य दंडात्मक अपराधों के मामले में जमानत न्यायशास्त्र में पारंपरिक विचार कि न्यायालयों का विवेक अक्सर उद्धृत वाक्यांश 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' के पक्ष में झुकना चाहिए - जब तक कि परिस्थितियाँ अन्यथा उचित न हों - विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों से निपटने में कोई स्थान नहीं पाता है और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत जमानत देने की सामान्य शक्ति का 'प्रयोग' दायरे में गंभीर रूप से प्रतिबंधात्मक है। सुलभ संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है:

"28*. सामान्य दंडनीय अपराधों के संबंध में जमानत न्यायशास्त्र में यह पारंपरिक विचार कि न्यायालयों का विवेक अक्सर उद्धृत वाक्यांश के पक्ष में झुकना चाहिए - 'जमानत नियम है, जेल अपवाद है' - जब तक कि*

*परिस्थितियां अन्यथा उचित न हों - विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों से निपटने में कोई स्थान नहीं पाता है और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत जमानत देने की सामान्य शक्ति का प्रयोग बहुत ही सीमित दायरे में है। धारा 43डी (5) के प्रावधान में प्रयुक्त शब्दों का रूप - 'रिहा नहीं किया जाएगा', धारा 437(1) सीआरपीसी में प्रयुक्त शब्दों के रूप - '**रिहा किया जा सकता है' के विपरीत - विधानमंडल की जमानत को अपवाद और जेल को नियम बनाने की मंशा को दर्शाता है।**"*

51. इस निर्णय का संदर्भ देने का कारण यह है कि **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य** के मामले में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम को भी श्रेणी 'सी' के दायरे में लाया गया है, जिसमें यह टिप्पणी करते हुए कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में यह श्रेणी 'सी' के अंतर्गत आता है जिसमें धन शोधन अपराध भी शामिल है, जिसमें अन्वेषण पूरी होने पर जमानत देने का निर्देश दिया गया है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (सुप्रा)** में यह विचार में रखते हुए यह दृष्टिकोण अपनाया है कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के प्रावधान के तहत दंडनीय अपराध भी श्रेणी 'सी' के अंतर्गत आते हैं, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जेल नियम है और जमानत अपवाद है।

52. अब हम उन आधारों पर आते हैं, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उठाया गया है कि यदि सम्पूर्ण ईसीआईआर को भी ध्यान में रखा जाए, तो भी ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया समझा जाएगा, जिससे पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तत्व लागू हों। याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप के संबंध में आगे यह आधार लिया गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रश्नगत भूमि से संबंधित भूमि के अवैध हस्तांतरण में सहयोग किया है, उक्त आरोप के अलावा याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है।

53. दूसरी ओर, प्रतिवादी ED की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार ने प्रस्तुत किया है कि जांच के दौरान पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, जिसके आधार पर अभियोजन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई कानूनी सबूत नहीं है।

54. इस न्यायालय को, प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, अभियोजन पक्ष की शिकायत के प्रासंगिक पैराग्राफों को संदर्भित करने की आवश्यकता है, जिन्हें निम्नानुसार संदर्भित किया जा रहा है:

8.4 मोहम्मद सद्दाम हुसैन (आरोपी संख्या 7)-

दिनांक 17.04.2023 को दिए गए अपने बयान (आरयूडी संख्या 56) में आरोपी मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने कहा है कि अफसर अली ने अपने साथियों की मदद से जमीन अपने साथियों के नाम पर स्थानांतरित

करवा ली और उसने इम्तियाज अहमद, तल्हा खान, फैयाज खान के साथ मिलकर धोखाधड़ी से हासिल की गई जमीन को बेचने में उसकी मदद की। उसने यह भी कहा है कि वह अफसर अली, लाखन सिंह, भरत प्रसाद और अन्य के साथ मिलकर 3.81 एकड़ जमीन बेचने में शामिल हैं, जिसका स्वामित्व लाखन सिंह की मां सरस्वती देवी के नाम पर किया गया था। यह जमीन खाता संख्या 256, प्लॉट संख्या 891, 893 और 903 पर स्थित थी और यह गैरमजरूआ खास जमीन थी। बिक्री से प्राप्त धनराशि को देवेश कुमार, भरत प्रसाद, अफसर अली, इम्तियाज अहमद, जाहिद इकबाल व अन्य के बीच वितरित किया गया। उसने आगे कहा कि उनके परिसर से बरामद विक्रयविलेख और संपत्ति के दस्तावेज अफसर अली द्वारा दिए गए थे और फैयाज खान ने उन दस्तावेजों को ग्राहकों को बेचने के लिए अपने आवास पर रखा था।

दिनांक 18.04.2023 (आरयूडी नंबर 57) के अपने बयान के दौरान, यह पता चला है कि उनकी फर्म ग्रीन ट्रेडर्स को भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है जो उस जमीन की बिक्री का परिणाम है जिसमें जालसाजी की गई थी। यह भी पता चलता है कि इम्तियाज अहमद, अरविंद साहू, फैयाज खान और अफसर अली फर्जी विलेख द्वारा 3.81 एकड़ जमीन की बिक्री में सीधे तौर पर शामिल थे और तल्हा खान मोराबादी, रानीची में प्लॉट नंबर 668, खाता नंबर 29 की जमीन की बिक्री में शामिल था। बिक्री से प्राप्त धनराशि सहयोगियों के खाते के माध्यम से ग्रीन ट्रेडर्स को हस्तांतरित कर दी गई। उसने दिनांक 18.04.2023 को अपने बयान में आगे कहा कि ग्रीन ट्रेडर्स के खाते में तल्हा खान, इम्तियाज अहमद, फलयाज खान, प्रदीप बागची और अफसर अली के साथ लेनदेन अफसर अली अफसू खान के निर्देश पर किया गया है। उसने आगे कहा कि अभियुक्तगण अफशर अली अपनी फर्म ग्रीन ट्रेडर्स और अपनी कंपनी एफ2आर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों का अपने विवेक के अनुसार उपयोग कर रहा है।

दिनांक 26.04.2023 (आरयूडी संख्या 60) के अपने बयान के दौरान कहा है कि राजदीप कुमार (प्रेम प्रकाश के सहयोगी) ने 4.55 एकड़ (सेना के कब्जे में) की संपत्ति के संबंध में अभियुक्त छवि रंजन के साथ बैठक की व्यवस्था की थी। वह राजदीप कुमार और अफसर अली के साथ अभियुक्त छवि रंजन के कार्यालय गए जहां अंचल अधिकारी मनोज कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने आगे बताया कि चर्चा के बाद श्री छवि रंजन ने अंचल अधिकारी मनोज कुमार को प्रदीप बागची के दावे के संबंध में आश्वासन रजिस्ट्रार (रिकॉर्ड), कोलकाता के कार्यालय से सत्यापन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने एक अन्य मामले में भी जालसाजी की है और खाता संख्या 53, मौजा गारी, रेंस में 4.83 एकड़ जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार किया है और इसका फर्जी दस्तावेज प्रदीप बागची के रिश्तेदार समरेंद्र चंद्र घोषाल के नाम पर तैयार किया है। यह शेखर प्रसाद महतो उर्फ कुशवाहा, बिपिन सिंह, प्रिय रंजन सहाय और अन्य की मिलीभगत से किया गया है।

दिनांक 20.04.2023 (आरयूडी संख्या 58) के अपने बयान के दौरान ज्ञात होता है कि वह अफशर अली के साथ मिलकर काम करता है और अफशर अली के निर्देश पर, अभियुक्तगण तल्हा खान उर्फ सनी ने अपनी कंपनी एफ2आर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में निम्नलिखित राशि स्थानांतरित की है।

दिनांक	तल्हा खान के साथ लेन-देन
18.08.2022	जमा 10,00,000 रुपये
20.08.2022	जमा 4,00,000 रुपये
21.09.2022	जमा 2,50,000 रुपये
13.10.2022	जमा 3,00,000 रुपये
14.10.2022	जमा 4,50,000 रुपये
15.10.2022	जमा 5,00,000 रुपये
17.10.2022	जमा 10,00,000 रुपये
19.10.2022	जमा 5,00,000 रुपये

उपरोक्त भुगतान तल्हा खान द्वारा एफ2आर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खाते में जमा की गई भूमि की बिक्री आय है, जो मोहम्मद सद्दाम हुसैन और इम्तियाज अहमद की कंपनी है। इस प्रकार, यह पता चलता है कि अफशर अल, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तल्हा खान और इम्तियाज अहमद एक दूसरे के साथी हैं और वे आदतन फर्जी दस्तावेज तैयार करके और बदले में अपराध के आगम प्राप्त करके भूमि सौदों की अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं।

8.5 इम्तियाज अहमद (अभियुक्त संख्या 8)-

धारा 50 पीएमएल अधिनियम 2002, (आरयूडी संख्या 65) के तहत दर्ज अपने बयान दिनांक 13.04.2013 में अभियुक्तगण इम्तियाज अहमद ने कहा है कि वर्ष 2020 में अफसर अली के निर्देश पर उसने राजेश राय नामक व्यक्ति से रांची के बरियातू में 60 कट्ठा जमीन का मुख्तारनामा अपने नाम और भरत प्रसाद के नाम पर प्राप्त किया। उसने आगे कहा कि प्रदीप बागची से उन्हें 15 लाख रुपये की राशि

अफसर अली के निर्देश पर मिली थी (उक्त 15 लाख रुपये की राशि जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदीप बागची को कमीशन के रूप में दिए गए 25 लाख रुपये में से थी)। उनके परिसर की तलाशी में कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिसमें नकदी का विवरण वाली एक डायरी भी शामिल है। दिनांक 19.04.2023 (आरयूडी संख्या 66) के अपने बयान में उन्होंने कहा है कि डायरी में वर्णित सनी (तल्हा खान), फैयाज खान, सद्दाम हुसैन, अफसू खान और अन्य व्यक्तियों को भुगतान उनके द्वारा किया गया है। दिनांक 19.04.2023 के अपने बयान के दौरान, यह पाया गया कि उन्होंने मौजा कांके, रांची में लगभग 96 डिसमिल भूमि की मुख्तारनामा प्राप्त की और इस भूमि को कई व्यक्तियों को बेच दिया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने अफसर अली के निर्देश पर लाखन सिंह से खाता संख्या 4, प्लॉट संख्या 1967 और खाता संख्या 25, प्लॉट संख्या 1989 में स्थित एक भूखंड की मुख्तारनामा प्राप्त की है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि अफसर अली के निर्देश पर, भूमि को तुच्छ तरीके से अधिग्रहित किया गया था, जो प्लॉट संख्या 1965, जिसका क्षेत्रफल 1.79 एकड़ और प्लॉट संख्या 1966, जिसका क्षेत्रफल 1.93 एकड़ था, में स्थित थी, जिसमें अफसर अली के निर्देश पर भारत प्रसाद को मुख्तारनामा दिया गया था। इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि अफसर अली के निर्देश पर उन्होंने प्लॉट संख्या 1942, खाता संख्या 197 पर स्थित 13.98 एकड़ जमीन के लिए मुख्तारनामा प्राप्त किया।

दिनांक 13.04.2023 को तलाशी के दौरान, उसके घर (आरयूडी नंबर 22) से संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए। यह विदित है कि अभियुक्तगण ने अपने सहयोगी अफसर अली और उसके साथियों भारत प्रसाद, लखन सिंह, राजेश राय और अन्य के साथ मिलकर कई ज़मीनी संपत्तियों का फर्जी और तुच्छ तरीके से सौदा किया है। इन संपत्तियों को अलग-अलग व्यक्तियों को बेचा गया है, जिसमें नकद राशि अफसर अल, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तल्हा खान उर्फ सनी और अन्य सहयोगियों के बीच वितरित की गई है, जो साबित करता है कि ये लोग रैकेट का हिस्सा हैं, जो आदतन दस्तावेजों को बनाने और अपराध के आगम प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करने और बाद में उनका उपयोग करने और उन्हें निष्कलंक संपत्ति के रूप में पेश करने में शामिल हैं।

<u>फैयाज खान (अभियुक्त संख्या 10)-</u>

पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान दिनांक 13.04.2023 (आरयूडी संख्या 72) में कहा है कि वह अफसर अली को बचपन से जानता है और वह उसके लिए कार चलाता है। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में अफसर अली चेशायर होम रोड पर 4.83 एकड़ जमीन का सौदा सहाय, कुशवाह, इम्तियाज और अन्य लोगों के साथ कर रहे हैं। वह अफसर अली के साथ मिलकर जमीन के क्रेताओं की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसके अलावा, अफसर अली के निर्देश पर, वह संपत्ति के विलेख दस्तावेज लाने के लिए इम्तियाज अहमद के साथ कई बार कोलकाता गया था। इसके अलावा, उसने कहा

है कि इम्तियाज और प्रदीप बागची अफशर अली अफसू खान के साथ काम करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि उनके आवास से जो मुहरें/स्टाम्प बरामद किए गए, वे अफसर अली के थे।

अन्वेषण के दौरान फैयाज खान के कब्जे से भूमि पंजीकरण विभाग के 10 डुप्लीकेट स्टाम्प/सील बरामद किए गए। फैयाज खान के परिसर से जब्त किए गए कई फर्जी और जाली संपत्ति दस्तावेजों पर मुहर जैसी ही छाप है, जिन्हें अफसर अली ने अपने पास रखा था। इस प्रकार यह साबित हो गया है कि फैयाज खान भी फर्जी दस्तावेज बनाने और बाद में जमीनों को वैध संपत्ति के रूप में दिखाकर कई खरीददारों को बेचने की अवैध और आपराधिक गतिविधियों में अफसर अली के साथ शामिल है।

दिनाँक 21.04.2023 को दर्ज फैयाज खान के बयान (आरयूडी संख्या 73) से ज्ञात होता है कि उन्होंने एक्सिस बैंक खाता संख्या 920010047770735 संधारित कर रखा है, जिसमें मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तल्हा खान, ग्रीनसॉइल एंटरप्राइजेज के साथ कई बड़े मूल्य के लेनदेन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि यह खाता अफसर अली के निर्देश पर खोला गया था और उपरोक्त व्यक्तियों के साथ लेन-देन अभियुक्त अफसर अली के आग्रह पर किया गया था। दिनांक 13.04.2023 (आरयूडी नंबर 23) को तलाशी के दौरान, उनके परिसर से संपत्ति विलेख संख्या 4381/4369 (प्लॉट नंबर 557, मोराबादी संपत्ति रक्षा के कब्जे में) और 08/348 बरामद किया गया। उन्होंने कहा कि ये दस्तावेज अफसर अली के निर्देश पर रखे गए थे।

<u>तल्हा खान उर्फ सनी (अभियुक्त संख्या 9) -</u>

अपने बयान दिनांक 13.04.2023 (आरयूडी संख्या 68 और 69) में उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रदीप बागची के साथ रांची के बरियातु में स्थित 60 डिसमिल जमीन के लिए दिनांक 19.02.2022 को 4 करोड़ रुपये की राशि में एक अनुबंध किया था। अनुबंध की मध्यस्थता अफसर अली द्वारा की गई और दिनांक 19.02.2022 को अफसर अली को 20 लाख रुपये की टोकन मनी का भुगतान किया गया। इसके लिए उन्होंने अतिरिक्त राशि का भी भुगतान किया था और प्रदीप बागची से मुख्तारनामा प्राप्त करने के लिए अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन और प्रदीप बागची को कुल 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, प्रदीप बागची और अफसर अली एक टीम के रूप में कार्य कर रहे थे और अफसर अली के निर्देशानुसार उसने उन सभी को पैसे दिए। इस 60 डिसमिल प्लॉट में से उन्होंने तीन व्यक्तियों को 8 लाख रुपए प्रति डिसमिल की दर से जुलाई 2022 में संपन्न रजिस्ट्री में बेच दिया था। उन्होंने आगे बताया कि वह अपने पिता सालिक अख्तर के साथ कॉन्फियर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के निदेशक हैं। जब उनसे उनके एक्सिस बैंक, बरियातु स्थित खाते संख्या 918020064516549 (आरयूडी संख्या 102) में 87,97,029 रुपये की भारी नकदी जमा होने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह जमीन की बिक्री से प्राप्त राशि है और उन्होंने इसे जमा किया है। जब उनसे उनके खाते से 1,28,74,000 रुपये की नकद निकासी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने असंतोषजनक जवाब दिया तथा नकदी में अपने

लेन-देन को उचित ठहराने में असमर्थ रहे है । उन्होंने यह भी कहा कि वह अफसर अली के साथ 3.81 एकड़ जमीन के सौदे में भी शामिल थे और 30-40 डिसमिल जमीन उनके माध्यम से बेची गई थी, हालांकि कागजों में उनका कहीं नाम नहीं था। उनके दिनांक 22.04.2023 (आरयूडी संख्या 70) के बयान से यह भी पता चलता है कि उन्होंने अफसर अली के निर्देश पर प्रदीप बागची के एचडीएफसी बैंक खाते के कई ब्लैंक चेक लिए और इन चेकों का इस्तेमाल खरीदारों से पैसे स्वीकार करने और बाद में उन्हें अपने खाते या अफसर अली के खाते में स्थानांतरित करने के लिए किया। एक्सिस बैंक में खोले गए उनके बैंक खाते 918020064516549 (आरयूडी नंबर 102) की संवीक्षा से पता चला है कि दिनांक 15.06.2019 से 07.03.2023 की अवधि के दौरान कुल 12.355621 रुपये जमा हुए हैं और ये राशि बैंक खाते से डेबिट या निकाली गई है, इसका एक बड़ा हिस्सा यानी 1,26,74,000 रुपये नकद निकाले गए हैं। बैंक खाते की संवीक्षा से अन्य अभियुक्तगण अर्थात् फैयाज खान, इम्तियाज अहमद और अन्य अभियुक्तगणो को लेनदेन को दर्शाता है।

<u>प्रदीप बागची (अभियुक्त संख्या 5) -</u>

आरोपी प्रदीप बागची ने दिनांक 16.12.2022 (आरयूडी संख्या 48) के अपने बयान में कहा कि उसने डिंग संख्या 0210004031000A5 और 0210004154000A1 को रंगने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था और न ही किसी आवेदन के लिए आवेदन किया था और आगे कहा कि उक्त दस्तावेजों में दिए गए पते फर्जी थे। उन्होंने आगे कहा कि दिलीप कुमार घोष ने उन्हें जारी समन के विरुद्ध ईडी कार्यालय, रांची में उपस्थित न होने की धमकी दी थी। इसके अलावा, उन्हें जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर संपत्ति के पंजीकरण के पीछे की सच्चाई को उजागर न करने की भी धमकी दी गई। उन्होंने दिलीप कुमार घोष द्वारा प्रदीप बागची को समन जारी किए जाने के बाद किए गए कई व्हाट्सएप कॉलों का सबूत भी पेश किया

पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयान दिनांक 13.04.2023 (आरयूडी संख्या 50) में उन्होंने कहा है कि वह अफसर अली, इम्तियाज अहमद, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तल्हा खान उर्फ सनी और फैयाज खान को जानते हैं। वे सभी भू-संपत्तियों के विक्रय-विलेखो में हेराफेरी करने में संलिप्त हैं तथा जाली विक्रय-विलेखो पर हस्ताक्षर करवाने के लिए उसे पैसे देते हैं। उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि उन्होंने लगभग 5 विक्रय विलेखों की जालसाजी की थी और उनके मालिक के रूप में हस्ताक्षर किए थे और इसके लिए उन्होंने उपरोक्त व्यक्तियों से धन प्राप्त किया था। उन्होंने कहा कि अफसर अली, इम्तियाज अहमद और अन्य ने एमएस प्लॉट संख्या 557, मोरहाबादी मौजा, रांची की 4.55 एकड़ जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार किया और इसे दिलीप कुमार घोष को बेच दिया, जो अमित कुमार अग्रवाल के अधीन काम कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि दिलीप कुमार घोष और अफसर अली ने उन पर दबाव बनाया कि

वे अमित कुमार अग्रवाल का नाम न लें और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें भविष्य में कोई काम नहीं मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि अफसर अली, इम्तियाज अहमद, फलयाज खान, तल्हा खान सनी पुरानी प्रॉपर्टी विलेखो में हेराफेरी करने में माहिर हैं। फैयाज खान अफसर अली का ड्राइवर है और उसके लिए फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करता है और इन व्यक्तियों के पास जाली स्टाम्प/सील हैं जिनका उपयोग वे नकली विक्रय विलेख तैयार करने में करते हैं। भूमि रजिस्ट्री कार्यालयों के साथ उनके अच्छे संपर्क हैं और उक्त अधिकारियों में से एक भानु प्रताप प्रसाद हैं जो रांची के बरागल स्थित सिंडी कार्यालय में काम करते हैं। भानु प्रताप प्रसाद अफसर अली और अन्य को अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने में सहायता करता है।

उन्होंने अपने बयान दिनांक 17.04.2023 (आरयूडी संख्या 51) में, कहा कि अफसर अली के निर्देश पर, वह पैसे के लिए मोरहाबादी, पुलिस स्टेशन बरियातु, रांची में खाता संख्या 29, प्लॉट संख्या 66ti में 60 डेसीमल की संपत्ति के मालिक के रूप में खड़े हुए। अफसर अली ने वर्ष 1943 का फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने दिवंगत पिता प्रफुलिया बागची पुत्र मोहिनी बागची के नाम पर निष्पादित कर दिया। अफसर अली के निर्देशानुसार उन्होंने तल्हा खान सन्नी के साथ विक्रय अनुबंध किया। उन्हें दिनांक 19.02.2022 का अनुबंध दिखाया गया, जिस पर उन्होंने बताया कि अनुबंध के पृष्ठ संख्या 7 पर किए गए हस्ताक्षर ही उनके द्वारा किए गए हैं तथा शेष पृष्ठों पर किए गए हस्ताक्षर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। उन्होंने आगे बताया कि एचडीएफसी बैंक में उनके नाम से खाता 50200061315883 खोला गया था और अफसर अली और तल्हा खान सनी ने अपनी इच्छानुसार उक्त खाते का संचालन किया। उन्होंने ब्लैंक चेकों पर उनके हस्ताक्षर भी ले लिए थे और उनकी पासबुक भी ले ली थी। उन्होंने आगे बताया कि अफसर अली गिरोह का सरगना है, जो अतिरिक्त पृष्ठ बनाकर और जोड़कर फर्जी रजिस्टर तैयार करता है, जिससे भूमि की प्रकृति के आधार पर कीमत वसूल की जाती है।

उन्होंने अपने बयान दिनांक 25.04.2023 (आरयूडी संख्या 54) में कहा कि ईडी, रांची जोनल कार्यालय द्वारा उन्हें समन जारी किए जाने के बाद उन्होंने दिलीप कुमार घोष को इसकी जानकारी दी थी और उन्होंने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष कोई भी मामला न बताने के लिए कहा था। अफसर अली ने आगे कहा कि दिलीप कुमार घोष 6.75 करोड़ रुपये के कथित बकाये के लिए एक अनुबंध करना चाहते थे और इसके अनुसार उक्त भूमि पर कब्जा मिलने के बाद भुगतान किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि अनुबंध पर दिलीप कुमार घोष के साथ कोलकाता के होटल पीयरलेस इन में पिछली तारीख पर हस्ताक्षर किए गए थे, जहां अफसर अली और मोहम्मद सद्दाम हुसैन भी मौजूद थे। उन्होंने आगे कहा कि जगतबंधु मामले में पैसे के लिए वह अशहर अली और सद्दाम हुसैन के साथ प्रेम प्रकाश के कार्यालय गए थे, जहां उन्हें प्रेम प्रकाश और राजदीप कुमार सहित उनके सहयोगियों ने डांटा और धमकाया तथा पैसे के लिए दोबारा न आने या फोन न करने की चेतावनी दी।

उपरोक्त मामले में पीयरलेस होटल्स कोलकाता से की गई पूछताछ से पता चला है कि अभियुक्तगण अफसर अली 09.02.2023 से 11.02.2023 (आरयूडी सं.104) के दौरान पीयरलेस इन कलकत्ता में रुके थे।

11. अभियुक्त की विशिष्ट भूमिकाएं:-

अभियुक्त का नाम और नंबर	अभियुक्त की भूमिका	अभियुक्तगण से संबंधित अपराध के आगम-
तल्हा खान उर्फ सनी (अभियुक्त संख्या 9)	अभियुक्तगण अन्य अभियुक्तगणो के साथ मिलकर धोखाधड़ी से संपत्ति अर्जित करने और अपराध के आगम अर्जित करने के लिए उन्हें अवैध रूप से बेचने में शामिल था। अभियुक्तगण ने अन्य अभियुक्तगणो के साथ मिलकर प्लॉट नंबर 668, खाता नंबर 29, मौजा गारी, पुलिस स्टेशन बरियातू, रांची में स्थित 60 डेसीमल जमीन का एक टुकड़ा अवैध रूप से 4 करोड़ रुपये में अर्जित किया। अभियुक्तगण ने अपनी कंपनी कॉन्फियर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एक्सिस बैंक खाते 91802000064516549 में अपराध के आगम अर्जित की। दिनांक 15.06.2019 से 07.06.2023 की अवधि के दौरान	धोखाधड़ी से अर्जित भूमि के खरीदारों की व्यवस्था करने में अन्य अभियुक्तगणों की सहायता की। दिनांक 19.02.2022 को 4 करोड़ रुपये की राशि में रांची के बरियातु में स्थित 60 डिसमिल भूमि के लिए एक अनुबंध किया गया ।

	अपराध के आगम की राशि 12,35,56,621 रुपये जमा की गई, जिसमें से 1,28,74000 रुपये नकद निकाल लिए गए। अभियुक्तगण ने अपराध के आगम को एक जगह एकत्रित करने के लिए अपने बैंक खातों का इस्तेमाल किया। उक्त राशि को अन्य अभियुक्तगणो को भी हस्तांतरित किया गया। इस प्रकार, अभियुक्तगण जानबूझकर एक पक्ष था और वास्तव में अपराध के आगम से जुड़ी गतिविधि में अन्य अभियुक्तगणों के साथ शामिल था, अर्थात अपराध के आगम को निष्कलंक संपत्ति के रूप में अर्जित करना, उपयोग करना और पेश करना और दावा करना। इस प्रकार, अभियुक्तगण ने पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का अपराध किया है और वह पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडित किये जाने योग्य है।	

55. यह रिकॉर्ड में आया है कि तलाशी दिनांक 13.04.2023 को ली गई थी और एक साथी फैयाज खान (अभियुक्त संख्या 10) के परिसर से 10 निर्मित स्टाम्प/सील जब्त की गई थीं। अन्वेषण से यह भी ज्ञात होता है कि

अभियुक्त अफसर अली उर्फ अफसू खान के कब्जे से बरामद कई फर्जी दस्तावेजों पर फैयाज खान के कब्जे से जब्त मुहरों की ही मुद्रण है।

56. इसके अलावा, आश्वासन रजिस्ट्रार, कोलकाता ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया और जांच की और संबंधित भूमि सहित तीन विक्रय विलेखों से संबंधित अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की और पुष्टि की कि उक्त विक्रय विलेखों में हेरफेर और छेड़छाड़ की पहचान की गई थी और तदनुसार उपरोक्त छेड़छाड़ के लिए आश्वासन रजिस्ट्रार, कोलकाता की शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन हरे स्ट्रीट, कोलकाता में आईपीसी की धारा 120 बी, 465, 467, 468 और 471 के तहत एक एफआईआर संख्या 137/2023 दिनांक 10.05.2023 को दर्ज किया गया था।

57. इसके अलावा,अन्वेषण से ज्ञात होता है कि अभियुक्तगण, अफसर अली उर्फ अफसू खान, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तल्हा खान उर्फ सनी (वर्तमान याचिकाकर्ता), फैयाज खान, प्रदीप बागची और इम्तियाज अहमद, कुछ सरकारी अधिकारियों/रिकॉर्ड रखने वालों, जिनमें भानु प्रताप प्रसाद, राजस्व उप-निरीक्षक, बरगाई, रांची भी शामिल हैं, की मिलीभगत से अंचल कार्यालयों में उपलब्ध मूल अभिलेखों में हेरफेर और जालसाजी करके रांची और उसके आसपास स्थित कई जमीन के टुकड़ों को जब्त करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। दिनांक 13 अप्रैल, 2023 को की गई तलाशी के दौरान सर्किल कार्यालय द्वारा बरामद और जब्त किए गए कार्य/दस्तावेज/रिकॉर्ड इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि अभियुक्त गण मौद्रिक लाभ के लिए गैर-विक्रय योग्य भूमि को विक्रय योग्य भूमि में परिवर्तित करके भूमि के अवैध अधिग्रहण में शामिल एक रैकेट चला रहे थे। उन्होंने उपर्युक्त आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अपराध के आगम अर्जित की है और इस प्रकार धन शोधन का अपराध कारित किया है। इन संपत्तियों का उपयोग इस अधिनियम और अनुसूचित अपराधों के अंतर्गत अपराध करने तथा आय प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तथा उनकी गतिविधियों और अर्जित संपत्तियों को 'निष्कलंक संपत्ति' के रूप में पेश किया जाता है।

58. अभियोजन पक्ष की शिकायत से यह विदित है कि इस मामले के सह-अभियुक्त ने भी कबूल किया है कि याचिकाकर्ता इस रैकेट का हिस्सा है और अन्य अभियुक्तगणो के साथ मिलकर धोखाधड़ी से अधिग्रहित भूमि को बेचने में सहायता करता था। उसने और उसके साथियों ने अवैध रूप से प्लॉट नंबर 668, खाता नंबर 29, मौजा गारी, पुलिस स्टेशन बरियातू, रांची में स्थित 60 डेसीमल जमीन का एक टुकड़ा रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, कोलकाता के कार्यालय से जाली विक्रय विलेख के माध्यम से 4 करोड़ रुपये की राशि दिखाते हुए अवैध रूप से अर्जित किया। अभियुक्तगण ने अपनी कंपनी, कॉन्फ़ियर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, के एक्सिस बैंक खाता 921020002279585 के माध्यम से अपराध के आगम अर्जित की। उसके एक्सिस बैंक खाते 9180200064516549 में, दिनांक 15 जून, 2019 से 7 जून, 2023 की अवधि के दौरान अपराध की

राशि 12,35,56,621 रुपये जमा की गई, जिसमें से 1,28,74,000 रुपये नकद में निकाल लिए गए। जब उनसे उनके एक्सिस बैंक बरियातु खाते संख्या 918020064516549 में कुल 87,97,029 रुपये की नकदी जमा होने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि यह उनके द्वारा जमीन की बिक्री से जमा की गई राशि है। अभियुक्तगण ने अपराध के आगम को स्थान देने, स्तरित करने और एकीकृत करने के लिए अपने बैंक खातों का उपयोग किया। उक्त राशि अन्य अभियुक्तगणों को भी हस्तांतरित कर दी गई।

59. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैराग्राफ-8.4 में उल्लिखित सदाम हुसैन के बयान से ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ता धन-शोधन में शामिल था। याचिकाकर्ता, तल्हा खान उर्फ सनी ने एफ2आर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में 44 लाख रुपये भी स्थानांतरित किए हैं, जो मोहम्मद सद्दाम हुसैन और इम्तियाज अहमद की कंपनी है। इस प्रकार, यह ज्ञात होता है कि अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तल्हा खान और इम्तियाज अहमद एक दूसरे के सहयोगी हैं।

60. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैरा 8.7 में उल्लिखित अपने बयान में याचिकाकर्ता ने अफसर अली के साथ 3.81 एकड़ भूमि के सौदे में अपनी संलिप्तता का भी खुलासा किया, जहां दस्तावेज न होने के बावजूद उसके माध्यम से 30-40 डिसमिल जमीन बेची गई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने प्रदीप बागची के एचडीएफसी बैंक खाते से कई ब्लैंक चेक लिए तथा उक्त खाते का उपयोग खरीदारों से धन स्वीकार करने के लिए किया, जिसे उन्होंने बाद में अपने खाते या अफसर अली के खाते में स्थानांतरित कर दिया। तल्हा खान के नाम से एक्सिस बैंक में खोले गए उनके बैंक खाते 918020064516549 की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि 15 जून 2019 से 7 मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान कुल 12,35,56,621/- रुपये जमा हुए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण हिस्सा, 1,28,74,000/- रुपये नकद निकाले गए हैं।

61. इसके अलावा, यह विदित है कि शेख जमीर अली और प्रफुल्ल बागची के बीच कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस में निष्पादित विलेख संख्या 1813 वर्ष 1943, बुक संख्या I, बही संख्या 48, पृष्ठ संख्या 168-171 की प्रतिलिपि, जो बाद में जाली साबित हुई, प्रदीप बागची (प्रथम पक्ष) और तल्हा खान (द्वितीय पक्ष) के बीच खाता संख्या 29, प्लॉट संख्या 668, मौजा मोरहाबादी में स्थित 60 डिसमिल भूमि से संबंधित दिनांक 19.02.2022 को निष्पादित एक विक्रय अनुबंध, ऑनलाइन भूमि विवरण के साथ, तल्हा खान के उपयोग और कब्जे के तहत आवासीय परिसर में दिनांक 13.04.2023 को की गई तलाशी के दौरान बरामद किया गया। इस संबंध में विस्तृत विवरण अभियोजन शिकायत के पैराग्राफ-7.2 में दिया गया है।

62. अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैराग्राफ 8.5 में उल्लिखित इम्तियाज अहमद के बयान से ज्ञात होता है कि उसने वर्तमान याचिकाकर्ता और अन्य को भुगतान किया था, जैसा कि दिनांक 13.04.2023 को तलाशी

के दौरान उसके कब्जे से बरामद डायरी में दर्ज है। अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैराग्राफ-9.6.4 में डायरी की तस्वीरें दी गई हैं, जिसमें सनी उर्फ तल्हा खान को 17,29,100/- रुपये का भुगतान दिखाया गया है। डायरी में अपराध के आगम के वितरण को दर्शाया गया है, जिसमें अभियुक्तगणों को भूमि अधिग्रहण और निपटान की उनकी धोखाधड़ी गतिविधियों और बाद में अपराध के आगम प्राप्त करने से जोड़ा गया है।

63. अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैराग्राफ 8.5 में उल्लिखित फैयाज खान के बयान से ज्ञात होता है कि उन्होंने एक्सिस बैंक खाता संख्या 920010047770735 का उपयोग किया है, जिसके माध्यम से मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तल्हा खान और ग्रीनसॉइल एंटरप्राइजेज के साथ कई बड़े धनराशि के लेनदेन किए गए हैं।

64. अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैराग्राफ 8.6 में उल्लिखित प्रदीप बागची के बयान से ज्ञात होता है कि अफसर अली, इम्तियाज अहमद, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तल्हा खान उर्फ सनी (वर्तमान याचिकाकर्ता) और फैयाज खान भूमि-सम्पति की विक्रय विलेखो में हेरफेर करने में शामिल हैं। उन्होंने जाली विक्रय विलेखों में से एक पर मालिकाना हक जताने के लिए उसे पैसे दिए। बागची ने आगे खुलासा किया कि उसने लगभग पाँच विक्रय विलेखों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके लिए उसने उपरोक्त व्यक्तियों से पैसे प्राप्त किए थे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अफसर अली के निर्देश पर उन्होंने खुद को एक संपत्ति का मालिक बताया और अफसर अली ने वर्ष 1943 का एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया, जो उनके दिवंगत पिता प्रफुल्ल बागची, पुत्र मोहिनी बागची के नाम पर निष्पादित किया गया और अफसर अली के निर्देश पर उन्होंने वर्तमान याचिकाकर्ता तल्हा खान उर्फ सनी के साथ एक विक्रय अनुबंध किया। प्रदीप बागची ने यह भी बताया कि एचडीएफसी बैंक में उनके नाम से खाता खोला गया था, जिसे अफसर अली और तल्हा खान अपनी इच्छानुसार संचालित करते थे। उन्होंने ब्लैंक चेकों पर उसके हस्ताक्षर भी ले लिए थे और बैंक पासबुक भी ले ली थी।

65. **रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2018) 11 एससीसी 46** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन-ईडी द्वारा दर्ज गवाहों के बयान धारा 50 के मद्देनजर साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं। ऐसे बयानों से धन शोधन के अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता के बारे में मजबूत मामला सामने आ सकता है।

66. वर्तमान मामले में, धारा 50 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों से अन्वेषण के दौरान यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त था, जानबूझकर एक पक्षकार है और वास्तव में धन शोधन अर्थात उपयोग या अधिग्रहण, कब्जा, छिपाना, और निष्कलंक संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना के अपराध से जुड़ी सभी गतिविधियों में शामिल है ।

67. इसके अलावा, साक्ष्य के अनुसार, वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप यह है कि संबंधित संपत्ति को कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कार्यालय से जाली विक्रय विलेख के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित किया गया था। अभियुक्तगण ने अवैध रूप से अर्जित भूमि को बेचकर अपराध से आगम अर्जित किया तथा अपराध से प्राप्त धन को वितरित किया। इसके अलावा, अपराध के आगम का वितरण इम्तियाज अहमद से बरामद डायरी में दर्शाया गया है, जिसमें सनी उर्फ तल्हा खान, यानी वर्तमान याचिकाकर्ता को 17,29,100 रुपये का भुगतान दर्शाया गया है।

68. इसके अलावा, दिनांक 01.10.2021 को मोरहाबादी रांची में स्थित संपत्ति एमएस प्लॉट संख्या 557 की बिक्री से पहले सह-अभियुक्त इम्तियाज अहमद और फैयाज खान के साथ अंतर-जुड़े बैंकिंग लेनदेन की भी पहचान की गई है और दिनांक 19.02.2022 को एमएस प्लॉट संख्या 668, खाता संख्या 29, पुलिस स्टेशन 192, जिसका क्षेत्रफल 60 डिसमिल है, के लिए अनुबंध को निष्पादित किया गया है। यह अभियुक्त याचिकाकर्ता को सह-अभियुक्तगणों तथा भूमि अधिग्रहण एवं निपटान, तथा तत्पश्चात अपराध के आगम से अर्जित करने की उनकी धोखाधड़ी गतिविधियों से जोड़ता है।

69. संक्षेप में, अभियोजन शिकायत के पैरा 7.2 की क्रम संख्या 8 से यह विदित है कि याचिकाकर्ता तल्हा खान के परिसर से विक्रय अनुबंध और विक्रय विलेख की प्रतियां बरामद की गईं। अभियोजन पक्ष की शिकायत में यह भी पता चला है कि याचिकाकर्ता ने अपनी कंपनी एफ2आर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में 44 लाख रुपये स्थानांतरित किए हैं। अभियोजन पक्ष की शिकायत से यह भी पता चलता है कि अफसर अली, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, तल्हा खान और इम्तियाज अहमद एक-दूसरे के सहयोगी हैं और वे आदतन फर्जी दस्तावेज तैयार करके भूमि सौदों की अवैध गतिविधियों में संलिप्त हैं और बदले में अपराध के आगम अर्जित करते हैं। इसके अलावा, पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैरा 8.5 में दर्ज इम्तियाज अहमद के बयान से ज्ञात होता है कि उन्होंने डायरी में उल्लिखित अनुसार याचिकाकर्ता और अन्य को भुगतान किया था। फैयाज खान ने अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैरा 8.6 में दर्ज अपने बयान में यह भी स्वीकार किया कि वह एक्सिस बैंक खाते संख्या 920010047770735 का उल्लेख कर रहा है, जिसमें याचिकाकर्ता और अन्य के साथ कई बड़े धनराशि के लेनदेन किए गए हैं।

70. इसके अलावा, याचिकाकर्ता तल्हा खान उर्फ सनी ने स्वयं पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने प्रदीप बागची के साथ दिनांक 19.02.2022 को 4 करोड़ रुपये की राशि का बरियातू, रांची स्थित 60 डिसमिल जमीन के लिए एक अनुबंध किया था। अनुबंध की मध्यस्थता अफसर अली द्वारा की गई और दिनांक 19.02.2022 को अफसर अली को 20 लाख रुपये की टोकन मनी का भुगतान किया गया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त अफसर अली के

निर्देशानुसार एक टीम के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने उन सभी को पैसे दिए। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनके द्वारा एक्सिस बैंक, बरियातू स्थित खाते संख्या 918020064516549 में 87,97,029 रुपये नकद जमा किये गये हैं। उन्होंने बताया कि यह रकम जमीन की विक्रय से मिली रकम थी और उन्होंने इसे जमा किया था। उनके बयान से यह भी पता चलता है कि उन्होंने अफसर अली के निर्देश पर प्रदीप बागची के एचडीएफसी के कई बैंक चेक लिए और इन चेक का इस्तेमाल खरीदारों से पैसे लेने के लिए किया और बाद में इसे अपने खाते या अफसर अली के खाते में अंतरण कर दिया। एक्सिस बैंक में तल्हा खान के बैंक खाते की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि दिनांक 15.06.19 से 07.03.23 की अवधि के दौरान उक्त बैंक खाते से 12,35,56,621/- रुपये की राशि डेबिट या निकाली गई है। केस डायरी के पैरा 8.8 में दर्ज प्रदीप बागची के बयान से भी याचिकाकर्ता की धन-शोधन में संलिप्तता का पता चलता है। पैरा 9.6.4 से पता चलता है कि बरामद डायरी से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक 18,50,000/- रुपये दिए गए थे। ये नकद राशि साबित करती है कि याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्त अपराध के आगम से जुड़ी धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल रैकेट के सदस्य हैं और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता भी अपराध के आगम का लाभार्थी है और इस तरह वह रैकेट का हिस्सा है।

71. इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप से यह प्रतीत होता है कि वह अपराध के आगम में शामिल है, उसी के स्पष्टीकरण के अनुसार, यदि संबंधित व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल पाया जाता है, तो पीएमएलए की धारा 4 के साथ-साथ धारा 3 के प्रावधान लागू होंगे। यदि धारा 3 और 4 के प्रावधानों को समग्रता में पढ़ा जाए तो दंडनीय अपराध का दायरा व्यापक हो जाएगा।

72. इसके अलावा, पीएमएलए की धारा 3 के तहत प्रस्तुत स्पष्टीकरण धारा 3 के दायरे को व्यापक बनाते हुए यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति छिपाने, अधिग्रहण या लेयरिंग में शामिल है, तो धारा 3 के दंडात्मक प्रावधान उस पर लागू होंगे।

73. याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता ने जालसाजी के आधार पर, अर्थात् कोलकाता के एश्योरेंस कार्यालय से भूमि से संबंधित दस्तावेजों को गढ़कर, उक्त भूमि को बेचने में गहरी संलिप्तता दिखाई है।

74. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि ईडी ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध पहले ही एक पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल कर दी है और इस प्रकार, जहां तक याचिकाकर्ता का प्रश्न है, अन्वेषण पूरी हो चुकी है और इसलिए याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

75. इसके विपरीत, विपक्षी पक्ष-ईडी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि मात्र यह तथ्य कि अन्वेषण पूरी हो गई है, अनिवार्य रूप से अभियुक्त/याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा होने का अधिकार प्रदान नहीं करता है।

76. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की उपरोक्त तर्क के संदर्भ में, यहां यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि वर्तमान मामले में केवल आरोप-पत्र दाखिल करने से परिस्थितियों में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होता है।

77. इसके अलावा, विधि की यह स्थापित धारणा है कि आरोप-पत्र दाखिल करना ऐसी परिस्थिति नहीं है जो जमानत देने के लिए अभियुक्त के पक्ष में तराजू को झुकाती है और कहने की जरूरत नहीं कि आरोप-पत्र दाखिल करना किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को कम नहीं करता है।

78. इस समय **विरुपाक्षप्पा गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य, (2017) 5 एससीसी 406** के मामले में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना समीचीन होगा, जिसमें पैराग्राफ-12 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

*"**12**. विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से, हम पाते हैं कि वे इस तथ्य से प्रभावित हुए हैं कि जब आरोप-पत्र दाखिल किया जाता है तो यह परिस्थितियों में बदलाव के बराबर होता है। कहने की जरूरत नहीं है कि आरोप-पत्र दाखिल करने से अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप किसी भी तरह से कम नहीं होते। इसके विपरीत, आरोप-पत्र दाखिल करने से यह स्थापित होता है कि उचित जांच के बाद जांच एजेंसी ने मैटेरियल मिलने पर, आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण के लिए आरोप-पत्र पेश किया है।"*

79 इस प्रकार, स्थापित कानूनी प्रस्ताव पर गौर करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है।

80. इस प्रकार, उपर्युक्त निष्कर्ष से, कथित अपराध में वर्तमान याचिकाकर्ता की संलिप्तता प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होती है।

81. इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **रोहित टंडन बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2018) 11 एससीसी 46** में दिए गए निर्णय का संदर्भ देना उचित होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिशीलन किया है कि पीएमएलए की धारा 24 के प्रावधानों में यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक प्राधिकरण या न्यायालय यह उपधारित करेगा कि अपराध के आगम धन शोधन में शामिल है और यह साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर है कि अपराध के आगम में शामिल नहीं है ।

82. इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **विजय मदनलाल चौधरी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (सुप्रा)** के मामले में पैरा-284 के अंतर्गत अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम 2002 के अंतर्गत प्राधिकरण को किसी व्यक्ति पर धन शोधन के अपराध के लिए तभी मुकदमा चलाना है, जब उसके पास "विश्वास करने का कारण" हो, जिसे दर्ज किया जाना आवश्यक है कि व्यक्ति के कब्जे में "अपराध के आगम" है। केवल तभी जब उस विश्वास को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा समर्थन प्राप्त हो, जो अपराध के आगम से जुड़ी किसी प्रक्रिया या गतिविधि में संबंधित व्यक्ति की संलिप्तता को इंगित करता हो, तो अपराध के आगम की कुर्की और जब्ती के लिए अधिनियम के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है और जब तक कि केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक शुरू की गई ऐसी प्रक्रिया एक स्वतंत्र प्रक्रिया होगी।

83. उपर्युक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय के पास यह "विश्वास करने का कारण" है कि प्रथम दृष्टया वर्तमान याचिकाकर्ता की संलिप्तता ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों से पूरी तरह से प्रमाणित होती है, जो अपराध के आगम से जुड़ी गतिविधि में वर्तमान याचिकाकर्ता की संलिप्तता का संकेत है।

84. जहां तक अधिनियम, 2002 की धारा 45 के तहत जमानत देने के मुद्दे का संबंध है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, **विजय मदनलाल चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा)** में दिए गए निर्णय के पैराग्राफ 412 में यह टिप्पणी करते हुए अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुतोष चाहे किसी भी रूप में दी गई हो, जिसमें कार्यवाही की प्रकृति भी शामिल है, चाहे वह 1973 संहिता की धारा 438 के तहत हो या उस मामले के लिए 439 के तहत, संवैधानिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान करके, अधिनियम 2002 की धारा 45 के अंतर्निहित सिद्धांतों और कठोरता को लागू किया जाना चाहिए और बिना किसी अपवाद के अधिनियम 2002 के उद्देश्यों को बनाए रखने के लिए माना जाना चाहिए, जो कि धन शोधन के खतरे से निपटने के लिए कड़े नियामक उपायों का प्रावधान करने वाला एक विशेष कानून है।

85. अत:, पीएमएलए की धारा 45 में उल्लिखित शर्तों का पालन सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के लिए किए गए आवेदन के संबंध में भी करना होगा। कि धारा 24 के प्रावधानों के साथ यह प्रावधान है कि जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक प्राधिकरण या न्यायालय यह उपधारित करेगा कि अपराध के आगम धन शोधन में शामिल है और यह साबित करने का भार अपीलकर्ता पर है कि अपराध के आगम शामिल नहीं है।

86. जैसा कि उक्त चर्चा की गई है “धन शोधन का अपराध जो कोई, अपराध के आगमों से संबंधित ऐसी किसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप में, जिसके अंतर्गत उसका छिपाया जाना, कब्जा रखना, अर्जन या उपयोग भी है, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लिप्त होने का प्रयत्न करेगा या जानते हुए सहायता करेगा या जानते हुए उसका पक्षकार बनेगा या वास्तव में उसमें अंतर्वलित होगा और निष्कलंक संपत्ति के रूप में उसे प्रस्तुत करेगा या

उसका दावा करेगा, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा और अपराध के आगमों से संबंधित प्रक्रिया या क्रियाकलाप एक चालू रहने वाला क्रियाकलाप है और उस समय तक चालू रहता है, जब तक कोई व्यक्ति प्रत्यक्षत: या अप्रत्क्षतः किसी भी रीति में अपराध के आगमों को छिपा कर या कब्जा रखकर या उसका अर्जन करके या उपयोग करके या निष्कलंक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करके या निष्कलंक संपत्ति के रूप में दावा करके अपराध के आगमों का उपयोग करता है ।

87. इसके अलावा, जैसा कि उक्त चर्चा की गई है, न्यायिक घोषणा से यह विदित है कि किसी भी संपत्ति को अपराध के आगम के रूप में गठित करने के लिए, इसे किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि अपराध के आगम में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि ऐसी कोई भी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुई हो। खंड (यू) यह भी स्पष्ट करता है कि ऐसी किसी भी संपत्ति का मूल्य भी अपराध के आगम होगी और इस मामले में अभियोजन पक्ष की शिकायत के पैराग्राफ के अवलोकन से यह विदित है कि याचिकाकर्ता न केवल शामिल है, बल्कि अन्य अभियुक्तगणों के साथ मिलीभगत के माध्यम से अपराध के आगम प्राप्त करने में उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी है।

88. इस प्रकार, ऊपर की गई चर्चा के आधार पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि यदि संपूर्ण ईसीआईआर को भी ध्यान में रखा जाए, तो भी ऐसा कोई अपराध कारित नहीं समझा जाएगा, जिससे पीएमएल अधिनियम, 2002 की धारा 3 और 4 के तत्व लागू हों, अभियोजन शिकायत में उल्लिखित आरोपों के आलोक में पूरी तरह से गलत है।

<u>समता का आधार</u>

89. अब याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए समता के आधार पर आते हैं, यह सुस्थापित विधि है कि समता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए यदि तथ्य का मामला बिल्कुल समान है, तभी आदेश पारित करने के मामले में समता का सिद्धांत पारित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि तथ्यों के बीच अंतर है, तो समता का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

90. विधि का यह भी स्थापित अर्थ है कि न्यायालय अपनी शक्तियों का मनमाने तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता है और उसे जमानत देने से पहले परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होगा और केवल यह कह देना कि किसी अन्य आरोपी को जमानत दे दी गई है, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि समानता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

द्वारा रमेश भवन राठौड़ बनाम विशनभाई हीराभाई मकवाना, (2021) 6 एससीसी 230 में दिए गए निर्णय से संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह निम्नानुसार माना गया है:

"25. *हम यह परिशीलन के लिए विवश हैं कि जमानत देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून के तहत उचित नहीं हैं। वे कथित अपराधों की प्रकृति और गंभीरता तथा दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता से अनभिज्ञ हैं और उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [नीरू यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 16 एससीसी 508 :] में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि समता के सिद्धांत को लागू करते समय, उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का मनमाने तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता है और उसे जमानत देने से पहले परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करना होगा। इस न्यायालय ने परिशीलन किया: (एससीसी पृष्ठ 515, पैरा 17)*

*"**17.** इस हस्तगत मामले पर आते हुए, यह पाया गया कि जब यह स्टैंड लिया गया कि दूसरा प्रतिवादी हिस्ट्रीशीटर है, तो उच्च न्यायालय के लिए हर पहलू की जांच करना और मनमाने ढंग से यह दर्ज नहीं करना जरूरी था कि दूसरा प्रतिवादी समानता के आधार पर जमानत पाने का हकदार है। यह पूरी तरह से निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि यह समानता का मामला नहीं था और इसलिए, आरोपित आदेश [मिट्ठन यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 एससीसी ऑनलाइन ऑल 16031] स्पष्ट रूप से विवेक के गैर-उपयोग को उजागर करता है। इसके अलावा, तथ्य के तौर पर यह रिकॉर्ड में लाया गया है कि दूसरे प्रतिवादी को कई अन्य जघन्य अपराधों के संबंध में आरोप-पत्र दिया गया है। उच्च न्यायालय इस पर ध्यान देने में विफल रहा है। इसलिए, आदेश को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करना होगा, क्योंकि इस न्यायालय द्वारा इसकी स्वीकृति न्याय का उपहास करने के समान होगी, और तदनुसार हम इसे अलग रखते हैं।*

26. *मामले का एक और पहलू जिस पर जोर देने की जरूरत है, वह है जिस तरह से उच्च न्यायालय ने समानता के सिद्धांत को लागू किया है। अपने दो आदेशों द्वारा, दोनों दिनांक 21-12-2020 [प्रवीणभाई हीराभाई कोली बनाम गुजरात राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2986], [खेताभाई परबतभाई मकवाना बनाम गुजरात राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2988], उच्च न्यायालय ने प्रवीण कोली (ए-10) और खेता परबत कोली (ए-15) को जमानत दे दी। सिद्धराजसिंह भगुभा वाघेला (ए-13) के साथ समानता की मांग की गई थी, जिसे 22-10-2020 को जमानत दी गई थी [सिद्धराजसिंह भगुभा वाघेला बनाम गुजरात राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 2985] इस आधार पर (जैसा कि उच्च न्यायालय ने दर्ज किया) कि उसे "लाठी से लैस होने की समान भूमिका सौंपी गई थी"। फिर से, वनराज कोली (ए 16) को इस आधार पर जमानत दी गई कि वह लकड़ी की छड़ी से लैस था और इस आधार पर कि प्रवीण (ए-10), खेता (ए-15) और सिद्धराजसिंह (ए-13) जो लाठी से लैस थे, उन्हें जमानत दी गई थी। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से समता के केंद्रीय पहलू को गलत समझा है। जमानत देते समय समता को अभियुक्त की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल यह देखना कि जमानत पाने वाला दूसरा आरोपी भी इसी तरह के हथियार*

से लैस था, यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि समता के आधार पर जमानत देने का मामला स्थापित हुआ है या नहीं। समता के पहलू को तय करने में, आरोपी से जुड़ी भूमिका, घटना के संबंध में उनकी स्थिति और पीड़ितों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय ने ऊपर बताए गए सरल मूल्यांकन पर समानता के आधार पर आगे बढ़ा है, जो फिर से कानून के तहत मान्य नहीं हो सकता है।"

91. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय (सुप्रा)** मामले में पैराग्राफ-18 में, जैसा कि ऊपर उद्धृत और संदर्भित किया गया है, यह अभिनिर्धारित किया है कि समता कानून नहीं है और समता के सिद्धांत को लागू करते समय, न्यायालय को उस अभियुक्त से जुड़ी भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जिसका आवेदन विचाराधीन है।

92. उक्त निर्णय के पैराग्राफ-19 में आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत के मामले में समता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही इसमें यह भी प्रतिपादित किया गया है कि कोई नकारात्मक समता नहीं हो सकती है, जिसका अर्थ है कि यदि किसी सह-अभियुक्तगण को तथ्यात्मक पहलू पर विचार किए बिना या उचित न होने के आधार पर जमानत दी गई है, तो केवल इसलिए कि सह-अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है, वह अनुच्छेद 14 के सकारात्मक समानता और नकारात्मक समानता की परिकल्पना के आधार पर समानता के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करेगा। सुलभ संदर्भ के लिए, उपरोक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ-19, इस प्रकार है:

*"**19.** यह स्वयंसिद्ध है कि समता का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित कानून के समक्ष सकारात्मक समता की गारंटी पर आधारित है। हालाँकि, यदि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता या अनियमितता की गई है, या न्यायिक मंच द्वारा कोई गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या बढ़ाने या इसी तरह का गलत आदेश पारित करने के लिए उच्चतर या उच्चतर न्यायालय के क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 का उद्देश्य अवैधता या अनियमितता को कायम रखना नहीं है। **<u>यदि किसी प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या लोगों के समूह को कानूनी आधार या औचित्य के बिना कोई लाभ या फायदा दिया गया है, तो अन्य व्यक्ति ऐसे गलत निर्णय के आधार पर लाभ का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते हैं।"</u>***

93. अब यह न्यायालय उपरोक्त स्थापित विधि अनुपात की पृष्ठभूमि में समानता के मुद्दे को तय करने के लिए तत्काल मामले के तथ्यों पर विचार कर रही है और विधि की उपरोक्त स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले में दिलीप कुमार घोष के मामले में अलग-अलग तथ्यों को संदर्भित करना उचित समझती है, जिन्हें इस न्यायालय ने जमानत आवेदन संख्या 7233/2023 में दिनांक 28.11.2023 के आदेश के तहत जमानत दी है।

94. इस न्यायालय को दिलीप कुमार घोष के विरुद्ध लगाए गए आरोपों पर विचार करने की आवश्यकता है, जिसका उल्लेख अभियोजन पक्ष की शिकायत में किया गया है।

95. जैसा कि दिलीप कुमार घोष के विरुद्ध अभियोजन पक्ष की शिकायत से विदित है, यहां उल्लेख करना आवश्यक है:-

(I) दिलीप कुमार घोष, अभियुक्त अर्थात अमित कुमार अग्रवाल, जो कि जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का लाभकारी मालिक है, के निर्देश पर जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे और संबंधित संपत्ति उक्त कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई है।

(II) इसके अलावा, आरोप यह है कि संबंधित संपत्ति 20 करोड़ रुपये की थी, लेकिन दिलीप कुमार घोष के माध्यम से कंपनी ने बातचीत करके इसे केवल 7 करोड़ रुपये में खरीद लिया।

96. यह न्यायालय, अभियुक्त दिलीप कुमार घोष, जिसे जमानत दी गई है, द्वारा निभाई गई अलग भूमिका के आधार पर और उसकी जवाबदेही की तुलना वर्तमान याचिकाकर्ता के कृत्य से करते हुए, इस विचार पर है कि यह नहीं कहा जा सकता कि दिलीप कुमार घोष द्वारा किया गया कृत्य वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले के कृत्य के समान है, जैसा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत से विदित होगा, जिसमें यह रिकॉर्ड पर दर्ज की गई है कि दिलीप कुमार घोष ने अभियुक्त संख्या 3 अर्थात अमित कुमार अग्रवाल को अभियुक्त संख्या 1 मेसर्स जगतबंधु टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अपराध के आगम अर्जित करने में सहायता की थी, जो पूरी तरह से अमित कुमार अग्रवाल के नियंत्रण में थी।

97. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि क्या समता के सिद्धांत का पालन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि उक्त दिलीप कुमार घोष को जमानत दी गई है, न्यायालय ने पहले ही वर्तमान याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप पर विचार कर लिया है, जिसका उल्लेख पहले ही पिछले पैराग्राफों में किया जा चुका है।

98. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अन्वेषण के दौरान एकत्र सामग्री के अनुसार आरोप के तुलनात्मक मूल्यांकन पर, यह विदित है कि उक्त दिलीप कुमार घोष के विरुद्ध , प्रश्नगत भूमि की खरीद का आरोप लगाया गया है और उसके विरुद्ध आगे आरोप यह है कि वह अपराध के आगम के अधिग्रहण, कब्जे, छिपाने और उपयोग से जुड़ी गतिविधियों में शामिल है और अपराध के आगम को निष्कलंक संपत्ति के रूप में दावा और पेश करता है।

99. अतः, ऊपर की गई चर्चा से यह विदित है कि याचिकाकर्ता का मामला आरोप के अनुसार उक्त दिलीप कुमार घोष से भिन्न है और यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अभियुक्त संख्या 3 अमित कुमार अग्रवाल की

जमानत इस न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन संख्या 7343/2023 में पारित आदेश दिनांक 01.03.2024 द्वारा पहले ही खारिज कर दी गई है।

100. इसके अलावा, यह स्वीकार करते हुए भी कि दिलीप कुमार घोष को जमानत दे दी गई है, तथापि, इस न्यायालय का विचार है कि दिलीप कुमार घोष ने भी जालसाजी से नाता तोड़ लिया है और उन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है।

101. हालाँकि, यह न्यायालय समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **तरुण कुमार बनाम सहायक निदेशक प्रवर्तन निदेशालय (सुप्रा)** के मामले में अभिनिर्धारित किया है, जिसमें, पैराग्राफ 19 में, यह सिद्धांत निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 14 सकारात्मक समानता की परिकल्पना करता है न कि नकारात्मक समानता की और यह स्वीकार करते हुए भी कि उक्त दिलीप कुमार घोष को जमानत दी गई है, इस सिद्धांत की प्रयोज्यता के मद्देनजर याचिकाकर्ता को कोई सहायता नहीं दी जा सकती है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, बल्कि यह सकारात्मक समानता की परिकल्पना करता है।

102. इसके अलावा, यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि धन शोधन एक आर्थिक अपराध है और आर्थिक अपराध गंभीर अपराधों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए जमानत के मामले में एक अलग दृष्टिकोण के साथ विचार करने की आवश्यकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी बनाम सीबीआई*** **रिपोर्टेड (2013) 7 एससीसी 439** के मामले में अभिनिर्धारित किया है,। सुलभ संदर्भ के लिए, उपरोक्त निर्णयों के प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार उद्धृत किए जा रहे हैं:

*"**34.** आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं और जमानत के मामले में इनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। गहरी साजिश वाले और सार्वजनिक धन की भारी हानि वाले आर्थिक अपराधों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें गंभीर अपराध माना जाना चाहिए, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और इस तरह देश की वित्तीय सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।"*

103. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **निमगड्डा प्रसाद बनाम सीबीआई (2013) 7 एससीसी 466** के मामले में पैराग्राफ 23 से 25 में उसी दृष्टिकोण को दोहराया है जो इस प्रकार है:

*"**23.** दुर्भाग्य से, पिछले कुछ वर्षों में देश में सफेदपोश अपराधों में खतरनाक वृद्धि देखी गई है, जिसने देश के आर्थिक ढांचे के ताने-बाने को प्रभावित किया है। निस्संदेह, आर्थिक अपराधों का पूरे देश के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। गुजरात राज्य बनाम मोहनलाल जीतमलजी पोरवाल [(1987) 2 एससीसी 364: 1987 एससीसी (सीआरआइ) 364] में, इस न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने*

के अनुरोध पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित टिप्पणी की: (एससीसी पृष्ठ 371, पैरा 5)

"5. ... अगर राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले आर्थिक अपराधियों को सजा नहीं मिलती है तो पूरा समुदाय दुखी है। भावनाओं के आवेश में आकर हत्या की जा सकती है। एक आर्थिक अपराध शांत गणना और जानबूझकर व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है, भले ही समुदाय के लिए इसका क्या परिणाम हो। समुदाय के हितों की अनदेखी केवल इस कीमत पर ही प्रकट हो सकती है कि समुदाय का भरोसा और भरोसा खत्म हो जाए कि यह प्रणाली निष्पक्ष तरीके से न्याय करेगी और उन वर्गों की आलोचना से डरेगी नहीं जो सफेदपोश अपराधों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हित को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना उदार नजर से देखते हैं।"

24. *जमानत देते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि के लिए दंड की गंभीरता, अभियुक्त का चरित्र, अभियुक्त के लिए विशिष्ट परिस्थितियाँ, मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना, गवाहों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की उचित आशंका, जनता/राज्य के व्यापक हित और इसी तरह के अन्य विचार ध्यान में रखने होते हैं। यह भी ध्यान में रखना होगा कि जमानत देने के उद्देश्य से विधानमंडल ने "साक्ष्य" के बजाय "विश्वास करने के लिए उचित आधार" शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ है कि जमानत देने से निपटने वाली अदालत केवल इस बारे में खुद को संतुष्ट कर सकती है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई वास्तविक मामला है या नहीं और अभियोजन पक्ष आरोप के समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम होगा या नहीं। इस स्तर पर, उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने वाले साक्ष्य होने की उम्मीद नहीं की जाती है।*

25. *आर्थिक अपराध एक अलग श्रेणी में आते हैं और जमानत के मामले में इनके लिए अलग दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। गहरी साजिशों वाले और सार्वजनिक धन की भारी हानि वाले आर्थिक अपराध को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसे एक गंभीर अपराध के रूप में माना जाना चाहिए, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है और इस तरह देश की वित्तीय सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।*

104. इस प्रकार, ऊपर की गई चर्चा से यह स्पष्ट है कि जहां तक वर्तमान याचिकाकर्ता के मामले काप्रश्न है, अधिनियम, 2002 की धारा 45(1) के तहत प्रदत्त दोहरी शर्त पूरी नहीं हो रही है, ताकि वर्तमान याचिकाकर्ता को जमानत का विशेषाधिकार प्रदान किया जा सके।

105. यहां तक कि ऊपर की गई चर्चा के अनुसार समता के आधार पर भी, अपराध के घटित होने में वर्तमान याचिकाकर्ता की भूमिका/संलिप्तता के आधार पर उक्त दिलीप कुमार घोष की तुलना में काफी भिन्नता है।

106. उपर्युक्त कारणों से, तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है, आवेदक/याचिकाकर्ता जमानत देने की शक्ति के प्रयोग के लिए मामला बनाने में विफल रहा और तथ्यों और मापदंडों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय को जमानत देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई असाधारण आधार नहीं मिलता है।

107. अत:, इस न्यायालय का विचार है कि जमानत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

108. तदनुसार, उपर्युक्त चर्चा के आधार पर, यह न्यायालय का विचार है कि वर्तमान आवेदन खारिज किये जाने योग्य है और इस प्रकार खारिज किया जाता है।

109. जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, अवलोकन/निष्कर्ष केवल जमानत जारी करने पर विचार करने के उद्देश्य से है। इससे मुकदमे के दौरान मामले की गुण दोष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

110. लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का भी निस्तारण हो जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद,न्यायमूर्ति)

रोहित/ एएफआर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|